उत्तराखण्ड सरकार

वित्त मंत्री

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल

का

वित्तीय वर्ष 2022—23 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

आदरणीय अध्यक्ष जी,

1. राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दल को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अवसर मिला। यह जनादेश हमारी कार्यसंस्कृति को मिला है। हमने राजनीति की संस्कृति और सरकार की कार्यसंस्कृति दोनों बदली हैं। हमारा कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित था, समर्पित है और समर्पित रहेगा।

अध्यक्ष जी,

2. मैं इस अवसर पर प्रदेश कि देवतुल्य जनता को नमन करता हूँ। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहूति दी, उनको नमन करता हूँ। इस वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आपको आहूत करने वाले, देश व प्रदेश की सभी शहीदों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूँ, उनका कोटि–कोटि वंदन करता हूँ। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए। जिन पुण्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुननिर्माण में प्रगति की एक–एक ईट रखी, 75 वर्षो में देश को यहां तक लाए, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ।

अध्यक्ष जी,

3. वैश्विक महामारी कोरोना के दुष्प्रभाव से हमारी अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं थी। कोरोना महामारी से बाहर निकलना केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना असम्भव था। हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई और आर्थिक सहायता दी गई। केन्द्र सरकार की मदद के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था की तरह हमारी अर्थव्यवस्था ने भी त्वरित एवं प्रभावी 'V-Shape' रिकवरी की। आज हम इस बुरे दौर से बाहर निकल आये है। मैं इस अवसर पर चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्मिकों, पर्यावरण मित्रों के साथ–साथ पुलिस व प्रशासन तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सभी कोरोना योद्धाओं को भी नमन करता हूँ।

4. जनता ने जो अवसर हमें दिया है **उसे हम जनता का आदेश मानते हैं।** यह आदेश प्रदेश के विकास का, सुदृढ़ कानून व्यवस्था का, निर्बल के सशक्तीकरण का, पहाड़ और मैदान के सन्तुलित विकास का, शहर और गांव सबके विकास का आदेश है। यह आदेश

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रहित में देश के विकास हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को पूरी लगन के साथ उत्तराखण्ड में लागू करने का आदेश है। यह राज्य निर्माण की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का आदेश है। यह अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस दशक को **'उत्तराखण्ड का दशक'** बनाने की ओर एक और कदम है।

अध्यक्ष जी,

5. आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रस्तुत होने वाला यह आय–व्ययक नए विचारों का, नए संकल्पों का, आत्मनिर्भरता का, सुराज के सपने को पूरा करने का, विकास का और सेवा सुशासन तथा गरीब कल्याण का जीवन्त दस्तावेज है।

6. अर्थशास्त्र में संतुलित बजट उसे कहते है जिसमें व्यय और राजस्व प्राप्ति बराबर हो। वित्त वर्ष 2022–23 का बजट एक अलग मायने से संतुलित है। इसमें **परम्परा और विज्ञान का, पर्यावरण और विकास का**, **राजस्व व पूँजीगत व्यय का** तथा **असीमित आवश्यकता व सीमित संसाधनों** के मध्य संतुलन है। इसमें मौजूदा समय की आवश्यकता को भविष्य की दृष्टि से संतुलित करने का विनम्र प्रयास है।

7. **हमारी सरकार का यह विश्वास है कि** यदि सरकार द्वारा बनाई गयी योजनाओं का लाभ समाज के महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, कृषकों और अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उनकी सार्थकता निश्चय ही खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए इस बजट में न केवल यथोचित प्रावधान किये गये है, अपितु ससमय **सर्विस डिलिवरी** को ध्यान में रखा गया है, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों का विशेष ध्यान रखा गया है।

अध्यक्ष जी,

8. बजट एक सशक्त माध्यम है प्रदेश में विकास के नये आयामों को छूने का, जनता से जुडने का, जनता को जोडने का, जनता की आकांक्षाओं को साकार करने का, आवश्यक संसाधन जुटाने का, नई नीतियों के माध्यम से प्रदेश की किस्मत सँवारने का। इस सशक्त

माध्यम को हम प्रभावी तौर पर सही मायने में जनता का एक अस्त्र बनाना चाहते है। इसीलिए बजट निर्माण के अवसर पर हमने हर सम्भव तरीके से जनता से जुडने का प्रयास किया है।

अध्यक्ष जी,

9. सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि 29 मार्च 2022 को चार माह हेतु लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था। लेखानुदान पारित होने के बाद हमने विभागीय विशेषज्ञता व जन सहभागिता से बजट निर्माण का विनम्र प्रयास किया है। हमने **''आपका बजट आपका सुझाव''** अभियान प्रारम्भ किया। **व्हाट्सएप** और **ई–मेल** के माध्यम से जनता के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किये।

10. माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में पहली बार विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि समूहों के साथ मण्डलवार ''**संवाद कार्यक्रम**'' आयोजित किये। **कुमाँयू मण्डल मे नैनीताल में 14 मई 2022** और **गढ़वाल मण्डल मे देहरादून में 19 मई 2022** को अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रमुख क्षेत्र कृषि व सम्बद्ध गतिविधियां, ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकाय, उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा व व्यापार जैसे प्रमुख हित धारक समूहों के प्रतिनिधियों को संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इन संवाद कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दिये।

11. बजट पूर्व संवाद व जनता के सुझावों को हमने जनादेश माना है। नीति निर्माण और बजट निर्माण में उनसे सम्यक प्रेरणा लेने के लिए सुझावों को संबधित विभागों को संदर्भित किया है। अनेक सुझावों को विद्यमान योजनाओं में बजट प्रावधान में वृद्धि कर सम्मिलित किया गया है। ये सुझाव नीति निर्माण में भी सहायक होगें। समयाभाव के कारण यहां विस्तार से उल्लेख सम्भव नहीं है तथापि प्रसंगवश कुछ सुझावों का उल्लेख इस आय–व्ययक में किया गया है। यह कदम प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्रदेश की अर्थव्यवस्था से सम्बंधित नीति निर्माण से जोड़ने हेतु एक अभूतपूर्व पहल है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय में जनसाधारण की सहभागिता व विचार विमर्श बजट निर्माण के जनतान्त्रिक पक्ष को मजबूती प्रदान करेगी।

अध्यक्ष जी,

12. **यह आय–व्ययक हमारी सरकार की प्राथमिकताओं का ध्वजवाहक है। हमारी प्राथमिकताऐं निम्नवत हैः–**

- प्रदेश में सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन एवं राजकोषीय प्रबंधन हो,
- सुशासन तथा सतत् विकास लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन हो,
- सरकारी विभागों मे बेहतर सर्विस डिलीवरी हेतु क्षमता में अभिवृद्धि हो,
- सरकारी विभागों मे नवप्रवर्तन व सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन हो,
- सरकारी योजनाओं में सब्सिडी सीधे लाभार्थी को हस्तांतरित हो तथा कोई मध्यस्थ ना हों,
- शिक्षा एवं कौशल विकास रोजगारपरक हो,
- निर्बल वर्गो का सशक्तिकरण करते हुए सामाजिक सुरक्षा में अभिवृद्धि हो,
- कृषि व सम्बद्व क्षेत्रों का पुनर्जीवन व विस्तार हो तथा परम्परागत कृषि, उद्यान, मशरूम व सगन्ध पुष्प के उत्पादन व विपणन को प्रोत्साहन हो,
- आधारभूत संरचना व औद्योगिक विकास के साथ–साथ पारिस्थितिकी तन्त्र से संतुलन हो,
- सड़क, सेतु, नागरिक उड्डयन और रोप–वे के माध्यम मे बेहतर कनैक्टीविटी हो,
- पर्यटन क्षेत्र में विकास हों,
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो, समस्याओं का समाधान हो और लंबित प्रकरणो का निस्तारण हो तथा
- जरूरतमंदो की सेवा हो, प्रदेश समृद्वि की ओर बढे और राज्य में सुशासन हों।

अध्यक्ष जी,

13. राज्य के विकास और सुनहरे भविष्य के लिए आवश्यक है पूंजीगत परियोजना, और पूंजीगत परियोजना के लिए आवश्यक है, पूंजी का राज्य की ओर प्रवाह हो। यदि मजबूत इच्छाशक्ति और संकल्प हो तो प्रदेश के विकास में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती। आवश्यकता है एक नेक और विकासपरक सोच तथा स्पष्ट लक्ष्य की।

14. हमारा लक्ष्य स्पष्ट हैः– प्रदेश का सर्वांगीण व समावेशी विकास। लक्ष्य पूर्ति हेतु हम स्वयं के संसाधन बढायेगें, केन्द्र पोषित व वाह्य सहायतित योजनाओं को पूरी लगन से लागू करेंगें तथा '**पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप'** से प्रदेश के विकास को गति देंगे।

15. यह बताते हुये अत्यन्त हर्ष होता है कि पिछले एक वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जितनी वाह्य सहायतित परियोजनाएं स्वीकृति हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। मैं ऐसी ही कुछ परियोजनाओं का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँः

- टिहरी क्षेत्र को ब्राण्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने तथा स्थानीय समुदाय की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए **'सस्टेनेवल टूरिज्म'** विकसित करने हेतु रू. एक हजार नौ सौ तीस करोड़ (रू. 1,930 करोड़) की परियोजना लागत से **होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ़ टिहरी लेक एन्ड इट्स कैचमेंट परियोजना** भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।
- बागवानी के समग्र विकास हेतु रू. पांच सौ छब्बीस करोड़ (रू. 526 करोड़) लागत की बाह्य सहायतित परियोजना **उत्तराखण्ड इंटिग्रेटड हार्टिकल्चर डेवलपमैन्ट प्रोजेक्ट** हेतु समझौता पत्र **31 मार्च, 2022** को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्पादन को बढावा देना, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं विपणन सम्बंधी गतिविधियां सुदृढ करना। इसके अन्तर्गत नर्सरी, उत्कृष्टता केन्द्र, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन सम्बंधी गतिविधियां सम्मिलित है। हमें विश्वास है यह परियोजना औद्यानिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी।
- विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के समूह को सशक्त करने, उनके उत्पादों को बाजार से जोडनें, परम्परागत ऊपज को प्रोत्साहित करने, उनकी आय में बढोत्तरी करने के उद्देश्यों के साथ आगामी सात वर्षो के लिए '**आइफैड द्वारा वित्त पोषित रूरल इंटरप्राइजेज अक्सेलरेशन प्रोजेक्ट' रू. सात सौ इकहत्तर करोड़ (रू. 771 करोड़)** का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित हो गया है। यह किसानों की आय को दुगना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने का एक सशक्त प्रयास है।
- देहरादून–मसूरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने, जाम से मुक्ति पाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उद्देश्य से, सडकों का चौडीकरण एवं इलेक्ट्रिक बसों

की खरीद आदि घटकों के लिए **रू. एक हजार सात सौ पचास करोड़ (रू. 1,750 करोड़)** की परियोजना लागत से **'डेवलपमेंट ऑफ़ बैस्ट इन क्लास ट्रासंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एण्ड मसूरी'** भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई है।

- इसके अतिरिक्त शहरी विकास के क्षेत्र में कुल रू. चार हजार आठ सौ सैंतीस करोड़ (रू. 4,837 करोड़) की दो परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है– दो हजार पच्चीस करोड़ (**रू. 2,025 करोड़) की इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हल्द्वानी परियोजना** की स्वीकृति दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हुई है **तथा रू. दो हजार आठ सौ बारह करोड़ (रू. 2,812 करोड़) की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टाउन्स** की स्वीकृति दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हुई है।

- पेयजल आपूर्ति के लिए दो (02) महत्वपूर्ण बाह्य सहायतित परियोजनायें स्वीकृत हुई है। **अड़तीस (38) दूरस्थ व छोटे नगरों में** एक सौ पैंतीस (135) लीटर प्रति–व्यक्ति प्रतिदिन गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी** (जाईका) के सहयोग से **रू. एक हजार छः सौ करोड़ (रू. 1600 करोड़)** परियोजना लागत से **'उत्तराखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट'** तथा देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग नदी पर लगभग **रू. दो हजार इक्कीस करोड़ (रु. 2,021 करोड़)** की लागत से बाह्य सहायतित सौंग पेयजल बांध योजना भारत सरकार से स्वीकृत हो गयी हैं।

- **रू. नौ सौ बावन करोड़ (रू. 952 करोड़)** की परियोजना लागत से **उत्तराखण्ड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेन–फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट** भारत सरकार से स्वीकृत हो गया है।

अध्यक्ष जी,

16. स्पष्ट है कि अप्रैल 2021 से 31 मई, 2022 तक लगभग रू. चौदह हजार तीन सौ सत्तासी करोड़ (**रू.14,387 करोड़**) की बाह्य सहायतित परियोजनाओं की सौगात केन्द्र सरकार ने हमको दी है। यही नहीं, विगत पांच (05) वर्षों में विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं व अनुदानों के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई है।

17. महालेखाकार से प्राप्त आंकडो के अनुसार 2012–2013 से 2016–2017 तक की अवधि में कुल रू. अट्ठाइस हजार पचहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख (रू. 28,075.88 करोड़) का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इन पांच वर्षो में भारत सरकार से प्राप्त वार्षिक अनुदान का औसत रू. पांच हजार छः सौ पन्द्रह करोड़ अठ्ठारह लाख (रू. 5,615.18 करोड़) था। 2017–18 से 2021–2022 तक **रू. पचपन हजार आठ सौ एकतालिस करोड तीन लाख (रू. 55,841.03 करोड़)** का अनुदान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार औसत वार्षिक अनुदान **रू. ग्यारह हजार एक सौ अड़सठ करोड़ इक्कीस लाख (रू. 11,168.21 करोड़)** रहा है। निश्चित ही, यह डबल इंजन की सरकार के कारण ही सम्भव हुआ है।

18. महालेखाकार से प्राप्त आंकडो के अनुसार 2012–2013 से 2016–2017 तक की अवधि में कुल पूंजीगत परिव्यय **रू. इक्कीस हजार तीन सौ चौसठ करोड़ (रू. 21,364 करोड़)** था जबकि 2017–2018 से 2020–2021 तक चार वर्षो में ही **रू. चौबीस हजार बावन करोड़ (रू. 24,052 करोड़)** का पूंजीगत परिव्यय हो गया था। यदि वित्तीय वर्ष 2021–2022 के संशोधित अनुमान **रू. सात हजार एक सौ बारह करोड़ (रू. 7,112 करोड़)** को सम्मिलित किया जाये तो 2017–2018 से 2021–2022 के पांच वर्षो में कुल **रू. एकतिस हजार एक सौ चौसठ करोड़ (रू. 31,164 करोड़)** का पूंजीगत परिव्यय हुआ है। इस प्रकार 2012–2013 से 2016–2017 की तुलना में 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि में 45.87 % की वृद्धि हुई है। यह पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए और राज्य के भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

19. भारत सरकार द्वारा अवसंरचना के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में **रू. आठ सौ चौरानवे करोड़ (रू. 894 करोड़)** का पूंजीगत सहायता स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य घटकों में सशर्त पूंजीगत सहायता मिलने की सम्भावना है। इस योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, युवा कल्याण आदि अनके विभागों की परियोजनाएं आच्छादित की जा रही है। हमारे राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए यह योजना एक संजीवनी बनकर आयी है। इसीलिए हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि समयबद्ध तरीके से योजना का पूर्ण पालन किया जा सके।

अध्यक्ष जी,

20. वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक से सम्मानित सदन को अवगत कराने से पूर्व, मैं किसानों, उद्यमियों, व्यवसाइयों, शिक्षकों, चिकित्सकों, माताओं, बहनों व युवाओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूँः

वो खून पसीने की स्याही से,
सबकी किस्मत लिखते है,
उस फौलादी नींव पर,
हम विकास पथ पर बढ़ते हैं।

अब मैं, वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक से सदन को अवगत कराना चाहूंगाः

<u>नियोजन वित्त और प्रशासनः</u>

अध्यक्ष जी,

21. **समुचित नियोजन** के बिना विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नही किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि राज्य में संचालित योजनाओं का समुचित अनुवेक्षण हों, संसाधनों की अभिवृद्धि के अनुवरत प्रयास हों, मितव्ययता हो, समुचित कानून व्यवस्था हो तथा नवाचार व नवीन प्रौद्योगिकी को निरन्तर बढावा मिले।

22. ई–गवर्नेन्स प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न विभागों में संचालित परियोजनावार कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की ऑनलाइन पोर्टल **'ई–आंकलन'** से समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में **रू. पांच करोड़ (रू. 5 करोड़)** से ऊपर की परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु एक **कैपिटल डैशबोर्ड** तैयार किया गया है। प्रदेश में संचालित की जा रही वाह्य सहायतित परियोजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु **ई0ए0पी0 डैशबोर्ड** तैयार किया गया है। राज्य योजना आयोग की वेबसाइट www.spc.uk.gov.in के माध्यम से **बैस्ट प्रैक्टिसेज** आमंत्रित किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गयी है।

23. वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने व उनके कौशल विकास के लिए **'पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन,**

प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान' उत्तराखण्ड द्वारा देश के कई नामी संस्थानों के साथ पहली बार **'मैमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैन्डिंग'** हस्ताक्षरित किया गया है। संस्थान ने नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक फाईनेंस एवं पालिसी, नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फाईनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इण्डिया, हैदराबाद तथा इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइज, हैदराबाद के साथ प्रदेश के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल विकसित करने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अनुबन्ध किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान द्वारा दो हजार दो सौ (2,200) कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है।

अध्यक्ष जी,

24. राजस्व अभिवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर विभाग के तत्वावधान में विभिन्न नवाचारी प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। एक विवेकपूर्ण **इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली** के माध्यम से संभावित करावंचन (टैक्स ईवेजन) के जोखिमों को कम किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में करावंचन को रोकने तथा प्रवर्तन इकाईयों की प्रभावी मॉनीटरिंग किये जाने हेतु मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम का गठन किया जाना प्रस्तावित है। **ई–वे बिल** प्रणाली के विश्लेषण को प्रभावी बनाये जाने हेतु राज्य स्तर पर **ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम** परियोजना के माध्यम से **वीडियो एनालिटिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग** के द्वारा सूचनाओं का डाटा बेस तैयार किये जाने का कार्य प्रस्तावित हैं।

25. जी0एस0टी0 (GST) के उपभोग आधारित कर–प्रणाली होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य के उपभोग–स्वरूप का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है ताकि तद्नरूप राजस्व अभिवद्धि हेतु कार्य नीति बनाई जा सकें।

26. करदाताओं के मध्य जी0एस0टी0 (GST) अनुपालनाओं का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार किये जाने के लिए हमने गम्भीर प्रयास प्रारम्भ किये हैं। जन जागरूकता के विभिन्न विषयों को भी विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित–प्रसारित किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

27. अधिकाधिक व्यापारियों को पंजीयन प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा पंजीकृत व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के दोहरे उद्देश्यार्थ **''व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना''** लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर **रू. पांच लाख (रू. 5 लाख)** की बीमा राशि प्रदान की जाती है। **''बजट पूर्व संवाद''** के दौरान **''व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना''** में अभिवद्धि का सुझाव आया था। इस आय–व्ययक में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली **रू. पांच लाख (रू. 5 लाख)** की बीमा राशि को बढ़ाकर **रू. दस लाख (रू. 10 लाख)** किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष जी,

28. निबन्धन कार्यालयों के कम्प्यूटराईजेशन व पुराने अभिलेखों के डिजिटाईजेशन किये जाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। आम जनता की सुविधा हेतु व कार्यप्रणाली सरल बनाते हुए सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किल दरों को ऑनलाइन प्रदर्शित किये जाने हेतु **जी0आई0एस0 एप्लीकेशन** प्रणाली को अपग्रेड कर और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे आम जन को सम्पत्ति के स्थान के अनुसार सर्किल दर का मूल्यांकन करना अधिक सुविधाजनक होगा।

29. निबन्धन कार्यालयों में ऑथेंटिकेशन, ई–के0वाई0सी0 व वर्चुअल प्रजैंस के माध्यम से कार्य संचालित कराने के उद्देश्य से **सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थापना** को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित सुधार किये जाने प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु यथोचित प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

30. शासकीय कार्य को पूर्णतः पेपरलैस करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अन्तर्गत 31 मई, 2022 तक लगभग दो हजार छः सौ छियालीस (2,646) आहरण वितरण कार्यालयों द्वारा पचहत्तर हजार पाँच सौ (75,500) कार्मिकों तथा एक लाख उन्नीस हजार (1,19,000) पेंशनरों के कुल तिरेपन लाख (53,00,000) पृष्ठों को डिजिटाइज कराया जा चुका है।

31. **जीरो टॉलरेन्स नीति** के क्रम में, लेखा परीक्षा में नये कार्यक्षेत्रों, यथा–आई0टी0 ऑडिट, **फ्रॉड एंड फॉरेंसिक ऑडिट** आदि पर ऑडिट मैनुवल तैयार कराये जा रहें हैं, जिससे लेखा परीक्षा कार्यों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि होगी।

32. राज्य में ऑनलाइन प्रौक्यौरमेंट के संबंध में शिकायत व सुझाव अंकित किये जाने की कोई ऑनलाइन व्यवस्था नही थी। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से **'ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म'** पोर्टल को 05 जनवरी, 2022 को लांच किया जा चुका है। जीरो टॉलरेन्स के सूत्र वाक्य का यह एक जीवन्त दस्तावेज है।

अध्यक्ष जी,

33. सुशासन हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इस हेतु हमारी संवेदनशील सरकार **'ग्रास रूट लेवल'** पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में, पर्वतीय क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे राजस्व पुलिस का सुदृढ़ीकरण हेतु समस्त एक हजार दो सौ सोलह (1216) पटवारियों को पुलिस कार्यों के निर्वहन हेतु मोटर साइकिल प्रदान करने के लिए इस आय–व्ययक में **रू. नौ करोड़ पचहत्तर लाख (रू. 9.75 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

34. **''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास''** एक नारा नहीं अपितु हमारी सरकार की एक जीवन प्रणाली है और हमारी कार्य संस्कृति है। देश और दुनिया में हमारे राज्य की सांस्कृतिक–आध्यात्मिक पहचान है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते है जिसमें भेद–भाव की कोई जगह न हो, जो समानता और सामाजिक बुनियादों पर मजबूती से खड़ी हो और जो प्रगतिशील हो। राज्य में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार, सामाजिक सद्भाव व लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से सम्बंधित लागू कानून, विरासत, गोद लेने, रख–रखाव, सरंक्षता इत्यादि एवं **समान नागरिक आचार संहिता** के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस हेतु आय–व्ययक में नई मांग के माध्यम से **रू. पांच करोड़ (रू. 5.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

<u>कृषि एवं सहायक गतिविधियां:</u>

अध्यक्ष जी,

ये हमारा पथ और हम प्रतिबद्ध
यूँ स्वयं को झोंक देंगे
उर्वर क्या ऊसरों में
हम उम्मीदें रोप देंगे।

35. जनता के सुझाव व बजट पूर्व संवाद में अनेक सुझाव कृषि व सहायक गतिविधियों को लेकर भी प्राप्त हुए थे। किसानों के उत्पादों की जंगली जानवरों से सुरक्षा तथा उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। हम अपने कृषक भाई–बहिनों की पीड़ा को समझते हैं। इसीलिए इस आय व्ययक में यथासम्भव यथोचित प्रावधान करने का विनम्र प्रयास किया गया है।

36. वर्ष 2022 **''इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट''** के रूप में मनाया जा रहा है। प्रकृति ने हमारे पहाड़ी जनपदों को पौष्टिक अनाज के उत्पादन के अनुरूप मृदा व जलवायु प्रदान की है। आवश्यकता है एक संकल्प की, दृढ़ इच्छा शक्ति की, ग्रामीण भाई–बहनों के हौंसला बढाने की, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की और पौष्टिक अनाज को उचित मूल्य दिलाने की। इस संबंध में बजट पूर्व संवाद एवं **आपका बजट, आपका सुझाव** कार्यक्रम में जनता की ओर से सुझाव प्राप्त हुए थे। सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि **'स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम'** की नई मांग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में योजना हेतु धनराशि **रू. सात करोड़ पचास लाख (रू. 7.50 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

37. प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम लागू किया गया है। गत् पांच (05) वर्षों में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुयी है जो वर्तमान में बढ़कर दो लाख पन्द्रह हजार (2.15 लाख) हेक्टेयर हो गयी है। यह कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 34 % है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चार हजार चार सौ पचासी (4,485) जैविक क्लस्टर भी संचालित

किये जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जैविक उत्पादों के विपणन हेतु जैविक आउटलेट भी स्थापित किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष जी,

38. पात्र कृषकों को कृषि कार्य हेतु निवेश के लिए **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के अन्तर्गत **रू. दो हजार (रू. 2,000)** प्रत्येक किस्त की दर से प्रति वर्ष रू. छः हजार (रू. 6,000) का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में नौ लाख तीस हजार (9.30 लाख) कृषकों के खातों में रू. एक हजार **पांच** सौ इक्यासी करोड़ छियालीस लाख (रू. 1,581.46 करोड़) हस्तांतरित किए जा चुके हैं। कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक हमारे प्रदेश में पांच लाख तिहत्तर हजार (5.73 लाख) कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

39. लघु, सीमान्त, महिला कृषकों एवं सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुँच बढ़ाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में **फार्म मशीनरी बैंक** एवं मैदानी क्षेत्रों में **कस्टम हायरिंग सेन्टर** स्थापित किये जा रहे हैं।

40. **'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'** के अर्न्तगत हमारे प्रदेश में गत पांच (5) वर्षो में छः लाख चौबीस हजार (6.24 लाख) कृषक बीमित हुये। खरीफ सत्र 2021 तक एक लाख चौदह हजार चार सौ पचहत्तर (1,14,475) कृषकों को लगभग रू. पचीस करोड़ पंचानबे लाख (रू. 25.95 करोड़) क्षतिपूर्ति की गई है। योजना का लाभ अधिक से अधिक कृषकों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. चार करोड़ (रू. 4.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

41. कृषक भाई–बहिनों की मेहनत को समुचित सम्मान दिलवाने के लिए तथा उत्तराखण्ड राज्य के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए **जियोग्राफिकल इन्डीकेशन टैग** एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। जी0आई0 टैग प्राप्त करना उत्पाद की विशिष्टता को सुनिश्चित करते हुए वैश्विक बाजार की बेहतर सम्भावना उपलब्ध कराता है। प्रदेश की स्थानीय फसलों को जी0आई0 टैग प्रदान कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। मुन्स्यारी राजमा को 2021 में भारत सरकार द्वारा जी0आई0 टैग प्रदान कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्यारह (11) फसलों यथा– **उत्तराखण्ड मंडुवा**, **झंगौरा**, **गहत**, **लाल चावल**, **काला भट्ट**, **माल्टा**, **बुंराश जूस**, **चौलाई**, **अल्मोड़ा लखोरी मिर्च**, **पहाड़ी तोर दाल** तथा **बेरीनाग चाय**, को जी0आई0 टैग प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार में आवेदन कर दिया गया है।

42. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक **'पर ड्रॉप मोर क्रॉप'** के अन्तर्गत 45% से 55% राज–सहायता प्रदान की जा रही है। अध्यक्ष जी, किसान भाई–बहनों के हित में इस सहायता को 25% बढ़ाकर 70% से 80% किये जाने का प्रस्ताव है। यह सब्सिडी डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे किसानो को दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु कुल धनराशि लगभग **रू. तैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख (रू. 43.15 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

43. औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु हमें केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं, इस अवसर पर **बागवानी मिशन**, **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत **औद्यानिक फसलों हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना** व **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना** का विशेष उल्लेख कर रहा हूँ।

44. हमारी सरकार भी **मुख्यमंत्री एकीकृत औद्यानिक विकास, मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना, मिशन एप्पल, बागानों की घेरबाढ़ योजना, वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना, उत्तर फसल प्रबंधन योजना, राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण, मशरूम उत्पादन विपणन योजना, कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की योजना, मधुमक्खी पालन की योजना, मधुग्राम योजना** आदि योजनाओं के माध्यम से कृषको की उन्नति में भागीदारी निभा रही है।

45. कोविड महामारी के समय विभिन्न स्थानों से वापस आये अपने उत्तराखण्ड वासियो को स्वरोजगार से जोडनें के लिए **''मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास''** योजना अक्टूबर 2020 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषकों को 50%

अनुदान पर एक लाख बारह हजार (1.12 लाख) फल पौध, तीन हजार छः सौ बावन (3652) क्विंटल सब्जी बीज, एक हजार सात सौ छियानवे (1796) क्विंटल मसाला बीज एवं 60% अनुदान पर सत्ताइस हजार नौ सौ बहत्तर (27,972) किलोग्राम कीट व्याधिनाशक दवायें उपलब्ध करायी गयी हैं। साथ ही 01 (एक) रैफ्रिजरेटेड वैन व 02 (दो) कुल हाउस स्वीकृत किये गये हैं। योजनान्तर्गत कुल तिरेपन हजार दो सौ पैंसठ (53,265) कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. सत्रह करोड़ (रू. 17.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

46. किसान भाई–बहिनों के हितों की रक्षा के लिए '**उत्तराखण्ड फल पौधशाला नियमावली**' 7 जनवरी, 2022 को प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली से विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री कृषकों को उपलब्ध हो सकेगी।

47. कृषकों की फसलों को विभिन्न मौसमी कारकों से होने वाली नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सेब, आम, आड़ू, माल्टा, सन्तरा, मौसमी, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फैंचबीन, मटर एवं मिर्च का बीमा कराया जाता है।

48. **'क्लाईमेट स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम'** के माध्यम से मृदा के पोषक तत्वों के संरक्षण, सिंचन क्षमता में वृद्धि व उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करने की कार्यवाही गतिमान है। आराकोट में सेब भण्डारण हेतु एक हजार मैट्रिक टन क्षमता का **कन्ट्रोल्ड ऐटमोस्फियरिक स्टोर** निर्माण कार्य प्रगति पर है।

49. हमारे उद्यान नये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहे है। राज्य में स्थापित राजकीय उद्यान चौबटिया, रामगढ़ व धनोल्टी को **हार्टी–टूरिज्म** के रुप में विकसित किया जा रहा है।

50. वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में **औद्यानिकी विकास** हेतु राजस्व मद में कुल धनराशि **रू. पांच सौ एक करोड़ सैंतीस लाख (रू. 501.37 करोड़)** तथा पूंजीगत मद में **रू. छत्तीस करोड़ दस लाख (रू. 36.10 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

51. हमारी सरकार प्रदेश में चाय के उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है। **'चाय विकास बोर्ड'** द्वारा एक हजार चार सौ तेईस (1,423) हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय बागानों का रख–रखाव किया जा रहा है। पूर्व में स्थापित चाय बागान घोड़ाखाल, चम्पावत, नौटी को जैविक चाय बागानों के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। चाय बागान धौलादेवी, डीडीहाट, मुनस्यारी, बेतालघाट को जैविक चाय बागानों में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है एवं चाय बागानों को टी–टूरिज्म के रूप में भी विकास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में **चाय विकास योजना** हेतु कुल धनराशि **रू. अठारह करोड़ चालीस लाख (रू. 18.40 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

52. कृषि एंव औद्यानिक उपजों को जंगली जानवरो द्वारा हानि पहुचाने की चुनौती से निपटने के लिए **जड़ी–बूटी कृषिकरण** व वृक्षारोपण हेतु कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र जिनमें **जड़ी–बूटियां प्राकृतिक** रूप से पैदा हो रही है, उन्हे चिन्हित कर जड़ी–बूटियों के विकास हेतु नवीनतम तकनीकी को अपनाते हुए उनके उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि के साथ सीधे कृषकों की आय में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

53. **सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई** द्वारा एरोमा सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, मृदा व भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष सगन्ध फसल आधारित **एरोमा वैलियॉ** विकसित किये जाने की योजना है। इन एरोमा वैलियों से वन्यजीवों से परम्परागत खेती को हो रहे नुकसान के कारण बंजर कृषि भूमियों को सगन्ध फसलों द्वारा आबाद किया जा सकेगा। प्रत्येक वैली हेतु विशेष फसल यथा डेमस्क गुलाब, लैमनग्रास, मिन्ट, सिनॉमन, सुरई, तिमूर, जुनिपर, रोजमेरी, लेवन्डर, चन्दन, सिट्रस, हैम्प आदि को चिन्हित किया गया है।

54. राज्य में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले सगन्ध पौधों के तेलों पर आधारित उत्पादों के विकास पर शोध कार्यो हेतु सगन्ध पौधा केन्द्र परिसर, सेलाकुई में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की **इत्र एवं सुगन्ध** प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर, 2021 को किया गया है।**

55. कृषकों को गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई में **हाई टैक नर्सरी** की स्थापना की गयी है। इस नर्सरी में एक लाख पौध प्रति वर्ष तैयार करने की क्षमता है।

अध्यक्ष जी,

56. प्रदेश की आर्थिकी में सगधं पौधा किसान भाई–बहिनों के लिए नई उम्मीद बनकर आया है, इस आलोक में सगंध पौधा केन्द्र के दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव हैं। **गढ़वाल क्षेत्र में भरसार एवं कुमॉयू क्षेत्र में चौबटिया** में यह केन्द्र खोले जाएगें।

अध्यक्ष जी,

57. बजटपूर्व संवाद व जनता के सुझाव के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य के भूमिहीन कास्तकारों एवं नवयुवाओं को मशरूम उत्पादन से जोड़ने हेतु विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से बटन, ढ़िंगरी, शिटाके, गैनोडर्मा इत्यादि प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम प्रदेश में **मशरूम** और **औषधीय मशरूम** के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अध्यक्ष जी,

58. किसानों की आय दोगुना किये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ''**दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत**'' सहकारी सदस्यों एवं स्वंय सहायता समूहों को **ब्याजरहित ऋण** उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत मार्च, 2022 तक कुल **एक लाख एक्कीस हजार छप्पन (1,21,056)** लाभार्थियों को **रू. आठ सौ चार करोड़ छिहत्तर लाख (रू. 804.76 करोड़)** का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसके सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कुल **रू. सैंतालीस करोड़ (रू. 47 करोड़)** की धनराशि ब्याज प्रतिपूर्ति के रुप में सम्बन्धित लाभार्थियों के खातों में जमा की

गयी। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजना अन्तर्गत लगभग एक हजार दो सौ स्वंय सहायता समूहों एवं एक लाख पचास हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. पचपन करोड़ (रू. 55.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

59. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से '**उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना**' का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राज्य के दस हजार भेड़–बकरी पालकों की दो सौ पचास से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों का कलस्टर आधारित गठन किया गया है, जिसमें लगभग पांच हजार महिला सदस्य है। योजनान्तर्गत फेडरेशन एवं लाभार्थी के मध्य '**कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग एंड बाय बैक**' का अनुबन्ध किया गया है तथा भेड़–बकरियों के शारीरिक भार में वैज्ञानिक पशुपोषण के माध्यम से वृद्धि किया जा रहा है एवं उच्च गुणवत्ता के स्वस्थ्य, स्वच्छ "**हिमालयन गोट मीट**" को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

60. देश में '**टेक्सटाइल एंड वूलेन इंडस्ट्री**' में महीन ऊन एवं लम्बे फाइबर की मांग है। ऊन उद्योग की इस मांग को पूरा करने के लिए देश में मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से महीन ऊन आयात किया जाता है। इस आलोक में प्रदेश के भेड़–बकरी पालकों की आर्थिकी को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ दिसम्बर 2019 में उच्च गुणवत्ता की दो सौ चालीस ऑस्ट्रेलियन मैरीनो भेड़ें आयात की गई। आयातित भेड़ो से नैसर्गिक प्रजनन तथा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से वर्तमान तक लगभग एक हजार **पांच** सौ उच्च गुणवत्ता की '**प्योर लाइन मैरिनो एंड क्रॉस ब्रीड़ मैरिनो**' संतति प्राप्त हुई है। इसका उपयोग राज्य के भेड़ पालकों की भेड़ों में ऊन उत्पादन व मांस उत्पादन में वृद्धि करते हुये भेड़ पालकों की आजीविका संवर्धन करने में किया जा रहा है। यह प्रयास देश एवं प्रदेश को ऊन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

61. भेड़ों के साथ–साथ बकरियों में भी नस्ल सुधार हेतु अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से आयातित

ऑस्ट्रेलियन मैरीनों भेड़ों व उच्च गुणवत्ता के बकरों के वीर्य से राज्य में व्यापक स्तर पर नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।

अध्यक्ष जी,

62. दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं को विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जंगल में चारा एकत्रित करने जाना पड़ता है। इसमें न केवल अत्यधिक समय लगता है अपितु दुर्घटना होने व जंगली जानवरों से जान का खतरा भी है। एक संवेदनशील सरकार का परिचय देते हुए हमारी सरकार ने वर्ष 2021–22 में **'मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना'** को चार पर्वतीय जनपदों में प्रारम्भ किया। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस महत्वपूर्ण योजना का विस्तार इस वित्तीय वर्ष में सभी **नौ** पर्वतीय जनपदों के लिए किया जा रहा है। इस आय–व्ययक में इस हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये है।

63. पशु प्रजनन फार्म कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत देशी नस्ल की गायों के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना इसी वर्ष जनवरी माह में की गई है, जिसमें रेड सिन्धी, साहिवाल एवं गिर नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। प्रक्षेत्र पर देशी नस्ल की गायों में **ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाईजेशन** एवं **फील्ड एंम्ब्रियो ट्रांसफर** की स्थापना के अन्तर्गत वर्तमान तक चार सौ बहत्तर उत्कृष्ठ नस्ल की संतति प्रक्षेत्र एवं पशुपालक के द्वार पर उत्पन्न हो चुके हैं।

64. पशुधन बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 तक चौबीस हजार छः सौ बयासी पशु बीमित किये गये थे, जिसमें नौ गुना वृद्धि करते हुए दो लाख पच्चीस हजार आठ सौ बयासी पशुओं को बीमित किया जा चुका है।

65. राज्य में स्थापित देश की प्रथम राजकीय लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2019 से लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। जिनमें अभी तक सात लाख छत्तीस हजार वीर्य स्ट्रा उत्पादन किया गया है। लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान से 90 % से अधिक बछिया उत्पादित हो रही है, जो न केवल पशुपालकों की आय दुगनी करने में सहायक होगा अपितु आवारा पशुओं की संख्या में नियन्त्रण लाने में भी सहायक सिद्ध होगा। हमारी सरकार की मंशा यह है कि आगामी पांच वर्ष के कार्यकाल में

चरणबद्ध तरीके से लिंग वर्गीकृत वीर्य के माध्यम से कृत्रिम गर्भादान कार्यक्रम को शत प्रतिशत तक विस्तार किया जाएगा। इस आय–व्ययक में इस हेतु **रू. पन्द्रह करोड़ (रू. 15.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

66. पशुओं की पहचान हेतु वर्ष 2016–17 तक पंजीकृत तिहत्तर हजार तीन सौ उन्नासी पशुओं के सापेक्ष लगभग बत्तीस गुना अधिक गाय एवं भैंसों की टैगिंग करते हुए वर्ष 2021–22 तक तेईस लाख बहत्तर हजार छः सौ उन्हत्तर **'इनाफ पोर्टल'** पर पंजीकरण किया जा चुका है।

अध्यक्ष जी,

67. निराश्रित गोवंश के प्रति हम संवेदनशील हैं। इधर–उधर भटकते गोवंश से विभिन्न शहरों में जाम की समस्या व स्थानीय कृषि उत्पादों को नुकसान भी हो रहा है। हमारी सरकार गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के इंतजाम को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संवेदनशील सरकार ने **गौ सदनों की स्थापना** हेतु गत वर्ष के बजट प्रावधान को **छः गुना** बढाते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. पन्द्रह करोड (रू. 15.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

68. चम्पावत में दुग्धशाला की क्षमता दस हजार लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर बीस हजार लीटर प्रतिदिन तथा पिथौरागढ़ की दुग्धशाला की क्षमता पांच हजार लीटर प्रतिदिन से दस हजार लीटर प्रतिदिन करने की कार्यवाही गतिमान है।

<u>उद्योग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं कौशल विकास :</u>

अध्यक्ष जी,

69. मुझे हर्ष है कि औद्योगिक क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण होने से उत्तराखण्ड में नये उद्योग आकर्षित करने का वातावरण तैयार हो रहा है और पूर्व से चल रहे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं सेवायोजकों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित हो रहे हैं। उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है।

70. राज्य में उद्योगों के अनुरूप वातावरण बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। **इन्सपेक्टर राज** के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित कारखानों के निरीक्षण का कार्यक्रम प्रत्येक माह कम्प्यूटराइज्ड ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा रेण्डम आधार पर निर्धारित किये जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष की पूर्व सहमति के बिना निरीक्षण नहीं किये जा सकते हैं। निरीक्षण किये जाने के 48 घण्टों के अन्दर निरीक्षण रिपोर्ट को अपलोड किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

71. भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार कराये जाने हेतु निर्मित किये गये **ई–श्रम पोर्टल** पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की कार्यवाही सत्त रूप से गतिमान है। दिनांक 31 मई, 2022 तक उन्तीस लाख इक्सठ हजार चार सौ छियानबे (29,61,496) श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। यह राज्य को आवंटित लक्ष्य इक्तीस लाख पचास हजार (31,50,000) का लगभग 99 % है। राज्य ने **ई–श्रम** पर पंजीकरण की इस महत्वपूर्ण योजना में देश में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को सम्मान पत्र प्रदान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

72. युवाओं को स्वावलम्बी बनाने एंव राज्य की आर्थिकी में सुधार हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड **कौशल विकास मिशन** के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राज्य पोषित **एंट्रेप्रेन्योरशिप इम्प्लोयमेन्ट लिंक्ड प्रोग्राम** तथा वाह्य सहायतित **उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट** के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

73. भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के दो जिले रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर के जिला कौशल विकास योजना को वर्ष 2020–21 के जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। योजना के अन्तर्गत जिले का रोड मैप तैयार किया गया है जिसके आधार पर आगामी वर्षों में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा।

74. युवाओं के कौशल को पहचान दिलाने एवं कौशल विकास को प्राथमिकता बनाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर के विजेता राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते है तथा राष्ट्रीय विजेताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2021 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य के पांच (05) युवाओं द्वारा पदक हासिल किये गये है तथा इनमें से दो (02) युवाओं द्वारा थ्री–डी (3–डी) डिजीटल आर्ट एवं साइबर सिक्योरिटी की श्रेणी में शंघाई में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया जायेगा।

75. राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के उद्देश्य से **''विदेश रोजगार प्रकोष्ठ''** का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. दो करोड़ (रू. 2 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

76. अनुपालन भार कम किये जाने से संबंधित प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य में ऐसे कानून, जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके है, उन्हें हटाये जाने एक समिति गठित की गयी है। राज्य में अभी तक ऐसे छः सौ बयासी (682) विधियों व उपविधियों की पहचान की गई है जो अप्रासंगिक हैं और जिनसे निवेश प्रभावित हो रहा है, उन्हे हटाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

77. वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि में प्रदेश में उन्नीस हजार एक सौ पैंतीस (19,135) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सैंतालीस (47) बृहत उद्योग स्थापित किये गये, जिनमें लगभग रू. छः हजार सात सौ अड़तालीस करोड़ छिहत्तर लाख (रू. 6,748.76 **करोड़**) का पूंजी निवेश और एक लाख अठ्ठारह हजार एक सौ तेईस (1,18,123) लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष जी,

78. सतत् विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि समन्वय एवं सूचना साझाकरण की कमी के कारण नियोजन और कार्यान्वयन के बीच व्यापक अन्तर मौजूद रहते है। इस समस्या से निपटने के लिए एक समुचित योजना की आवश्यकता लम्बे समय से थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस समस्या का निदान करने के लिए वर्ष 2022–23 के केन्द्रीय बजट में **'प्रधानमंत्री गति–शक्ति योजना'** का समावेश किया गया है। इस योजना से देश के आधारभूत ढ़ांचे में सभी पक्षों के मध्य समन्वय के साथ काम होगा और आधारभूत अवसंरचना के निर्माण में समय व धन की बचत होगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के राज्य में क्रियान्वयन को हमारी सरकार ने शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की है।

79. राज्य द्वारा भी **स्टेट गति–शक्ति मास्टर प्लान** के अन्तर्गत राज्य की परिसम्पत्तियों को जी0आई0एस0 मैपिंग कराकर गति–शक्ति पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य के पूर्ण होने से परियोजनाओं के निष्पादन में समय एवं लागत में अप्रत्याशित कमी आयेगी तथा गुणवत्ता में आशातीत वृद्धि होगी। प्रदेश के द्वारा गति–शक्ति प्रदेश मास्टर प्लान भी तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।

80. निवेशकों के लिये '**एकल खिड़की व्यवस्था**' के अन्तर्गत अप्रैल, 2017 से मार्च, 2022 तक कुल छः हजार छः सौ सत्तानबे (6697) परियोजनाओं में रू. सैतीस हजार दो सौ पांच करोड़ सतहत्तर लाख (रू. 37,205.77 **करोड़**) के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये, जिसमें लगभग एक लाख अड़सठ हजार पांच (1,68,005) व्यक्तियों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों का ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है। उत्तराखण्ड भारत सरकार के **नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम** के साथ इन्टीग्रेशन करने वाला प्रथम राज्य है।

81. **स्टार्टअप नीति** के अन्तर्गत राज्य में एक सौ अट्ठाइस (128) स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है तथा तीस (30) स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य में ग्यारह (11) इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अनुमति जारी

की जा चुकी है। सम्पूर्ण राज्य में बूट कैम्पों के माध्यम से नवाचारी विचारों का चयन कर उन्हें स्टार्टअप उद्यम के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दस (10) श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का चयन किया जाता है। हमारी सरकार महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रयत्नशील है। इस हेतु आवश्यक प्रावधान किये जा रहे हैं।

82. कोविड–19 के पश्चात् लोटे प्रवासियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा **''मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना''** लागू की गई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुल पांच हजार आठ सौ छप्पन (5,856) लोगों को स्वयं के उद्यम, सेवा व व्यवसाय की स्थापना के लिये बैंकों के माध्यम से लगभग रू. एक सौ चौरानबे करोड़ सत्तर लाख (रू0. 194.70 करोड़) की ऋण सुविधा प्रदान की गयी, जिससे बीस हजार चार सौ छियानबे (20,496) लोगों को स्वरोजगार व रोजगार प्राप्त हुआ है।

83. **'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'** के अन्तर्गत राज्य ने निरंतर अच्छी उपलब्धि अर्जित की है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि में इस योजनान्तर्गत कुल नौ हजार छः सौ दस (9610) इकाईयों की स्थापना की गयी, जिनमें लगभग रू. एक सौ सत्तासी करोड़ छियासठ् लाख (रू0. 187.66 करोड़) की मार्जिन मनी संवितरित की गई। इनमें सतहत्तर हजार चार सौ साठ (77,460) लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये। इस योजना में उत्तराखण्ड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

84. उत्तराखण्ड में छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों द्वारा संचालित सूक्ष्म सेवा, व्यवसाय व उद्यम के संचालन हेतु **मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम** योजना अक्टूबर, 2021 में लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत रू. पचास हजार (रू0. 50,000) तक का ऋण बैकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत फल, सब्जी, रेहड़ी, चाय ठेली, पलंम्बर, दर्जी, इलेक्ट्रशियन, लॉन्ड्रेरी, बढ़ई, शिल्पकार तथा छोटे उद्यमी लाभान्वित होंगे।

85. बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, रॉ–मेटेरियल बैंक की स्थापना, विपणन तथा वैज्ञानिक सोच व नवोन्मेश के आधार पर नया रूप दिये जाने की संभावनाओं के दृष्टिगत उपलब्ध संसाधनों का यथोचित उपयोग करते

हुये, प्रत्येक जनपद से दो उत्पादों को चिन्हित करते हुये, उनके उत्पादन को बढावा दिये जाने हेतु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी आर्थिक विकास एवं स्थानीय लोगों की आर्थिकी के उन्नयन के उद्देश्य से **'एक जनपद दो उत्पाद योजना'** सितम्बर, 2021 में लागू की गयी है।

86. राज्य से निर्यात को बढावा देने के लिये राज्य में **नई निर्यात नीति** लागू की गई है। वर्ष 2015–16 में लगभग रू. ग्यारह हजार करोड़ (रू0. 11,000 करोड़) के निर्यात के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में रू. सोलह हजार करोड़ (रू0. 16,000 करोड़) से अधिक का निर्यात किया गया। राज्य में लॉजिस्टिक सुविधायें विकसित करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा **'लॉजिस्टिक्स ईज एक्रौस डिफरैन्ट स्टेट्स'** में राज्य का प्रर्दशन शीर्ष इम्प्रूवर की श्रेणी में रहा है।

87. राज्य में स्थापित उद्यमों को कुशल मानव श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत डोईवाला, देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) स्थापना की गई है। नये भवन की स्थापना हेतु वन भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को हो गया है और इस वित्तीय वर्ष में संस्थान के नये भवन का निर्माण प्रारम्भ करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. दस करोड़ पांच लाख (रू. 10.05 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

88. राज्य के 7 उत्पादों यथाः **कुमाँयू च्यूरा ऑयल, मुनस्यारी राजमा, उत्तराखण्ड का भोटिया दन, उत्तराखण्ड ऐंपण, उत्तराखण्ड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद एवं उत्तराखण्ड थुलमा** को **जियोग्राफिकल इंडिकेशन** प्रदान किये गये हैं। वर्ष 2021 में ही पांच (5) हस्तशिल्प उत्पादों को जी0आई0 प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से इन उत्पादों की ब्राण्डिंग के साथ–साथ मूल्यवर्धन होगा और इन उत्पादों के निर्माण में संलग्न उत्पादकों को बाजार मिलने से उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। राज्य के अधिक से अधिक विशिष्ट उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त कराये जाने हेतु सरकार प्रयासरत है।

89. प्रदेश के हस्तशिल्प व हथकरघा संबंधित उत्कृष्ट उत्पादों का **''हिमाद्रि''** ब्राण्ड के नाम से विपणन किया जा रहा है। कोरोना काल में बुनकर व शिल्पियों को ऑनलाइन विपणन

सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **ऑनलाइन पोर्टल अमेजन व फ्लिपकार्ट** के साथ भी अनुबन्ध किया जा चुका है।

अध्यक्ष जी,

90. सुशासन हेतु आवश्यक है कि सूचनाओं का प्रवाह त्वरित गति से हो, आंकड़ों की विश्वसनीयता हो तथा आँकडों का विश्लेषण करने की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हों। इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसरंचना का विकास होना आवश्यक है। हमारी सरकार के द्वारा लगभग चार हजार (4000) किलोमीटर '**ऑप्टिकल फाइबर केबल'** बिछाने की योजना है। प्रस्तावित नेटवर्क से दूरस्थ स्थानों पर कार्यालय, स्कूल, थाने व अन्य सरकारी संस्थानों को आच्छादित करते हुए ई–गवर्नेस के क्षेत्र में समुचित विस्तार हो सकेगा।

91. हमारी सरकार द्वारा पारदर्शी, सुचारू व समयबद्ध रूप से कार्य करने के लिए **'डेटा लेक'** पर कार्यवाही गतिमान है। इससे सभी विभागों के कामकाज को पारदर्शी बनाते हुए उसे एक छत के नीचे रखा जा सकता है। डेटा लेक से सिंगल लॉगिन के साथ पेपरलेस वर्किंग, अंतर्विभागीय समन्वय, विभागीय अधिकारियों के लिए रोल बेस्ड आधारित डैशबोर्ड भी सुनिश्चित होगा।

92. सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी प्रदान करने के लिए एक नई पहल शुरू करने के लिए हम प्रयत्नशील है। इस उन्नत सहायक वितरण मॉडल के अन्तर्गत नागरिक अपने दरवाजे पर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

अध्यक्ष जी,

93. वर्तमान समय में ड्रोन की उपयोगिता निरन्तर बढ़ते जा रही है। इसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी भवन देहरादून में ड्रोन एप्लिकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य में ड्रोन के उपयोग हेतु ड्रोन व ड्रोन सम्बन्धित एप्लीकेशन्स निर्मित किये जा रहे हैं। इस केन्द्र के माध्यम से ड्रोन संचालन हेतु पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।

94. पारदर्शी शासन प्रणाली सुनिश्चित करने का एक मापदण्ड ई–ऑफिस है। हमारी सरकार इस विषय में गंभीर है। इसी का परिणाम है कि सचिवालय के अतिरिक्त छब्बीस (26) अन्य कार्यालयों में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा चुका हैं। अन्य विभागों को ई–ऑफिस से संचालित करने की कार्यवाही गतिमान है।

95. **''अपणि सरकार पोर्टल**'' के माध्यम से राज्य के नौ (09) विभागों की चौसठ (64) सेवायें इलेक्ट्रोनिक माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। नागरिक सेवाओं की प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन पत्र की स्थिति जान सकते हैं एवं प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

96. इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिविल सेवा दिवस पर जारी की गयी पुस्तिका में **'अपणि सरकार पोर्टल**' को स्थान प्राप्त हुआ है। अपणि सरकार पोर्टल की सफलता को देखते हुए राज्यों के दुर्गम इलाको में सचल अपणि सरकार वैन के माध्यम से यह सेवा गाँव–गाँव तक प्रदान करने की कार्यवाही गतिमान है।

अध्यक्ष जी

97. राज्य में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना डिजी–लॉकर के अन्तर्गत लगभग सात (7) लाख से अधिक डिजी–लॉकर स्थापित हो गये हैं तथा डिजी–लॉकर के अन्तर्गत स्थायी निवास, आय, जाति, चरित्र, हैसियत, पेंशन स्कीम, परिवार रजिस्टर, कक्षा 10 एवं 12वीं के प्रमाण पत्र आदि आच्छादित हैं।

98. राज्य के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली इलेक्ट्रोनिक सेवाओं को साइबर सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से **साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान** एवं **क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन** को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है।

99. सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में **'भारत नेट फेज–2'** परियोजना पर भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

अध्यक्ष जी,

100. बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता का विकल्प खोजना समय की मांग है। जनता से प्राप्त सुझाव व बजट पूर्व संवाद मे सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए थे। इस संबंध में मुझे यह अवगत कराना है कि प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु विद्यमान नीति में परीक्षण करते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन करने हेतु हम तत्पर है।

101. प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में वर्तमान तक कुल 335.66 मेगावॉट सम्मिलित क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट्स स्थापित किये गये है। कुल 127 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट स्थापनाधीन है, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्त तक कुल 462.66 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट्स स्थापित होना लक्षित है। इन संयत्रों से 900 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में अनुपयोगी भूमि का समुचित उपयोग करते हुये, रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

102. प्रदेश में राजकीय भवनों व चिकित्सालयों में वर्ष 2022–23 में चालीस हजार (40,000) लीटर प्रति दिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना करने के लिए हम प्रयत्नशील है, जिसमें लगभग 6.57 मिलियन यूनिट विद्युत की वार्षिक बचत होगी।

103. प्रदेश में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की सम्भावना को बल दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम को सरकारी भूमि, भवन एवं जलाशयों मे सोलर ऊर्जा संयत्रो को स्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। साथ ही दिनांक 19 मई, 2022 को **भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड** से सौर ऊर्जा क्षेत्र मे पूंजी निवेश हेतु **समझौता ज्ञापन पत्र** हस्ताक्षरित किया गया है।

104. **''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना''** के अन्तर्गत वर्तमान तक 1.65 मेगा वाट सम्मिलित क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट्स स्थापित कराये गये है। वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल 7.5 मेगा वाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट्स लगाये जाना लक्षित है। इससे लगभग तीन सौ (300) व्यक्तियों को स्वरोजगार मिल सकेगा।

105. **सूर्योदय स्वरोजगार योजना फेस–2** के अन्तर्गत छः हजार (6,000) परिवारों को 3 किलो वॉट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना वर्ष 2022–23 में करायी जानी लक्षित है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 40 % राज्य द्वारा एवं 40 % भारत सरकार द्वारा और 20 % लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

106. जनपद् देहरादून में स्थित व्यासी जल विद्युत परियोजना 120 मेगा वॉट क्षमता का निर्माण दिसम्बर 2021 में पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है, जिस से राज्य को 353 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्रति वर्ष प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 4.50 मेगा वॉट की कालीगंगा–II परियोजना का निर्माण कार्य इसी वर्ष पूर्ण करा लिया जायेगा।

107. 300 मेगावॉट की **लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना** जिससे 06 राज्यों क्रमशः उत्तराखण्ड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश को जलापूर्ति भी सुनिश्चित होगी, की समस्त स्वीकृतियां प्राप्त कर निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

108. **रिवेम्पड डिस्ट्रीबयूशन सेक्टर स्कीम** के अन्तर्गत विद्युत हानियों को कम किये जाने तथा विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण सहित स्मार्ट मीटरों की स्थापना का कार्य वर्ष 2025 तक किया जाना लक्ष्यान्वित किया गया है।

109. वित्तीय वर्ष 2022–23 में 132 किलोवॉट सिंगल सर्किट तथा 41.56 सर्किट किलोमीटर लम्बी पिथौरागढ़–लोहाघाट लाईन को पूर्ण करना लक्षित है।

<u>सड़क, सेतु, उड्डयन एवं रोप–वेः</u>

अध्यक्ष जी,

110. सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास का मुख्य घटक होती हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,** भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में **पौंटा साहिब से देहरादून** तक 44.7 किलोमीटर**, जनपद चम्पावत में बनबसा से नेपाल के कंचनपुर** को संयोजित करने वाले भारतीय सीमा में 04 किलोमीटर एवं **भानियावाला से ऋषिकेश तक** 20.6 किलोमीटर लम्बी 04 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही **काठगोदाम–लालकुआं–हल्द्वानी बाईपास तक 37.5** किलोमीटर,

रुद्रपुर बाईपास में 21 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

111. हम भारत सरकार के आभारी है कि अपार पूंजी के सहयोग से हमें इन राष्ट्रीय राजमार्गो की सौगात दी है। सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि **पौंटा साहिब–देहरादून** परियोजना की लागत रू. नौ सौ अट्ठासी करोड़ (रू. 988 करोड़), भारत नेपाल सीमा के अन्तर्गत **बनबसा** से कंचनपुर को संयोजित करने वाली परियोजना की लागत रू. तीन सौ तेइस करोड (रू. 323 करोड़), **भानियावाला–ऋषिकेश** परियोजना की लागत रू. नौ सौ चौंतीस करोड़ (रू. 934 करोड़), **काठगोदाम– लालकुआं– हल्द्वानी बाईपास** परियोजना की लागत रू. दो हजार तीन सौ उन्नीस करोड़ (रू. 2319.00 करोड़) तथा **रुद्रपुर बाईपास** परियोजना की लागत रू. आठ सौ इक्कीस करोड़ (रू. 821.00 करोड़) है।

112. वित्तीय वर्ष 2022–23 में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत एवं गतिमान कार्यो के सापेक्ष पांच सौ चौबीस (524) किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का नवनिर्माण, एक हजार छः सौ अस्सी (1,680) किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का पुनः निर्माण तथा छत्तीस (36) सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

113. चारधाम यात्रा मार्गों पर जगह–जगह पर आवश्यकतानुसार जे0सी0बी0 एवं अन्य मशीनें, यात्राकाल व आगामी वर्षाऋतु काल में भारी वर्षा से बन्द होने वाले मार्गों को न्यून समयावधि के अन्तर्गत खोले जाने के लिए विभागीय तकनीकी स्टॉफ एवं मशीनें तैनात की गई हैं।

अध्यक्ष जी,

114. लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग के तत्वावधान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं **मेरा गाँव–मेरी सड़क** योजना के माध्यम से सड़क निर्माण का कार्य गतिमान है।

115. हमारी सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक सड़क सुविधाओं का निरन्तर विकास होता रहे, जिससे वहां रहने वाले लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और दैनिक जरूरतों का सामान आसानी से मिल सके एवं ग्रामीण क्षेत्रों में **होम–स्टे** के माध्यम से पर्यटन को बढावा देने की सम्भावना को विस्तार मिल सके।

116. पिछले पांच (05) वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्यारह हजार निन्यानबे (11,099) किलोमीटर लम्बाई पर निर्माण कार्य पूर्ण कर 250 से अधिक जनसंख्या की आठ सौ पैंसठ (865) बसावटों को सड़कों से जोड़कर रू. पांच हजार एक सौ दो करोड़ (रू0. 5,102 करोड़) की धनराशि व्यय की गई है, जबकि वर्ष 2000 में योजना आरम्भ से वर्ष 2016–17 तक सात हजार पांच सौ उन्तीस (7,529) किलोमीटर लम्बाई पर निर्माण कार्य पूर्ण कर दो सौ पचास (250) से अधिक जनसंख्या की नौ सौ पचपन (955) बसावटों को सड़कों से जोड़कर रू. दो हजार आठ सौ दस करोड़ (रू0. 2,810 करोड़) की धनराशि व्यय की गई थी। इस प्रकार पिछले पांच (05) वर्षों में उत्तराखण्ड राज्य में योजना के अन्तर्गत उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हुई है।

117. 10 साल से पुरानी सड़कें, जो जीर्णक्षीर्ण हालत में हैं, जिनकी चौड़ाई कम है, सतह ठीक नहीं है, अत्यधिक गड्ढे हो गये हैं, उनकी दशा में सुधार करने के लिए PMGSY-III के अन्तर्गत दो हजार दो सौ अट्ठासी (2,288) किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

118. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा एक सौ इक्यावन (151) नये पुलों की विशेष स्वीकृति राज्य को प्रदान की गई है, उन पुलों को भी दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

119. **मेरा गांव मेरी सडक** योजना के अर्न्तगत राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम दो सडक निर्माण की योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत एक सौ दो (102) सड़कों के सापेक्ष माह मार्च 2022 तक इक्कीस (21) सड़के पूर्ण एवं बावन (52) सड़कों का कार्य प्रगति पर है जिसमें 37.40 किलोमीटर सड़क निर्मित की गयी

हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. तेरह करोड़ अड़तालीस लाख (रू. 13.48 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

120. **उत्तराखण्ड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी** के तत्वावधान में हवाई मार्ग से यातायात आवागमन को सुगम बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है।

121. भारत सरकार के **रीजनल कनेक्टिविटी योजना** के तहत प्रदेश के विभिन्न सुदूरगामी क्षेत्रों में बेहतर हवाई सेवा कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। वर्तमान में इस योजना के अर्न्तगत तेरह (**13) स्थानों– सहस्त्रधारा, चिन्याली सौड़, गौचर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, नई टिहरी, श्रीनगर, मसूरी, जोशीमठ, धारचूला, हरिद्वार, रामनगर** में हैलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जौली ग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण एवं पन्तनगर में **ग्रीनफील्ड** एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है।

122. प्रदेश के अंदर हवाई सेवा को बढायें जाने हेतु **रीजनल कनेक्टिविटी योजना** के अतिरिक्त अन्य **हैलीपोर्ट** का भी निर्माण राज्य सरकार द्वारा गौजियाना (घनसाली), गैरसैंण (चमोली), देघाट–स्याल्दे (अल्मोड़ा), जोशीयाड़ा (उत्तरकाशी), डीडीहाट (पिथौरागढ़) में कराया जा रहा है। प्रदेश के अंदर विभिन्न दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु नये रूटों पर भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

123. हमारी सरकार ने प्रदेश के अन्दर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु हैलीकॉप्टर द्वारा चार धाम यात्रा सुगम बनाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये है। प्रदेश के अन्दर चार्टर एवं शट्ल सेवा भी चलायी जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को देव–दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वहीं दूसरी ओर प्रदेश मे वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है।

अध्यक्ष जी,

124. पर्वतीय मार्गो में भूस्खलन व भू–संरचना के कारण चाहते हुए भी हम न तो सडकों का चौड़ीकरण कर सकते है और न ही सुगमता से नये सडक मार्ग का निर्माण कर सकते है। इस आलोक में पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रोप–वे आशा की एक नई किरण है।

125. यद्यपि रोप–वे निर्माण में अन्तर्निहित तकनीकी जटिलता व अथाह पूंजी की आवश्यकता एक चुनौती है तथापि हम सफलता का नया इतिहास लिख रहे है। पर्यटन विभाग के तत्वावधान में जिस तरह से **चुनौती की चट्टानों** पर रोप–वे का निर्माण किया जा रहा है, वह इस बात का प्रमाण है की **विकल्प रहित संकल्प** होने पर हर चुनौती से पार पाते हुए सफलता की एक बडी लकीर खींची जा सकती है। इसी क्रम में सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि **''सुरकण्डा देवी''** रोपवे का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा मई, 2022 से रोपवे का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

अध्यक्ष जी,

126. **देहरादून–मसूरी**, **ठुलीगाड–पूर्णागिरी** एवं **जानकी चट्टी–यमुनोत्री** रोप–वे परियोजना के निर्माण को गति प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।

127. **नेशनल हाइवे लोजिस्टिक्स मेनेजमेंट लिमिटेड** की क्षमता व विशेषज्ञता के दृष्टिगत हमने सात रोप–वे परियोजनाओं के निर्माण हेतु अनुबन्ध किया है। हम आशान्वित है कि आने वाले वर्षो में **गौरी कुण्ड से केदारनाथ**, **गोविन्द घाट से हेमकुण्ड साहिब**, **रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टिहरी, खलियाटॉप से मुनस्यारी, ऋषिकेश से नीलकंठ तथा औली से गौरसों** रोपवे परियोजनाऐं प्रदेश के पर्यटन व आर्थिकी में चार चाँद लगायेगें।

128. **इन सात प्रस्तावित रोपवे के अतिरिक्त,** पैंतीस (35) अन्य रोपवे परियोजनाओं को **पर्वत माला परियोजना** के अन्तर्गत स्वीकार करने हेतु दिनांक 26 मई, 2022 को सड़क परिवहन नेशनल हाईवे लोजिस्टिक्स मैनेजमेंन्ट लिमिटेड को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अध्यक्ष जी,

129. पर्वतमाला परियोजना ने हमारे सपनों को पंख लगा दिये है। प्रदेश के सपने साकार

होते दिख रहे है। **स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन** जी की पंक्तियॉ समीचीन लग रही हैः

आज अपने स्वप्न को मैं, सच बनाना चाहता हूँ,
दूर की इस कल्पना के ,पास जाना चाहता हूँ,
चाहता हूँ तैर जाना, सामने अंबुधि पड़ा जो,
कुछ विभा उस पार की, इस पार लाना चाहता हूँ,
स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर, देख उनसे दूर ही था,
किन्तु पॉऊगा नही कर आज अपने पर नियंत्रण।
तीर पर कैसे रूकॅू मैं, आज लहरों में निमंत्रण,

पर्यटनः

अध्यक्ष जी,

130. उत्तराखण्ड के लिए पर्यटन आज महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रक उद्योग है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अधिकतम रोजगार की सम्भावना है। हमारे यहां पर्यटन की असीम सम्भावनांए हैं। हमारी जैव–विविधता, वन, नदियां, पहाड़ ऐतिहासिक स्थान, मन्दिर, तीर्थ, पौराणिक गुफांए आदि पर्यटकों के आर्कषण के प्रमुख बिन्दु है। हम उत्तराखण्ड को प्राकृतिक पर्यटन के साथ–साथ ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पौराणिक पर्यटन हब बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज फिल्म व सीरियल शूटिंग हेतु उत्तराखण्ड राज्य पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है।

131. उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अन्तर्गत साहसिक पर्यटन को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से साहसिक विंग का एवं ईको टूरिज्म को विकसित किये जाने हेतु ईको टूरिज्म विंग का गठन कर दिया गया है।

132. विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिये एक साफ, किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए **दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास** अर्थात **होम स्टे** योजना पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने में सफल हुई है। पर्यटकों को उत्तराखण्ड की संस्कृति व परंपराओं को समझने और उत्तराखण्डी व्यंजनों के स्वाद का आनन्द लेने के लिये एक उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हो रहा है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अबतक चार हजार साठ (4,060) आवासीय इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से लगभग बारह हजार (12,000) लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए है।

133. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की **''प्रसाद योजना''** के अन्तर्गत गंगोत्री में यात्रियों की सुविधा हेतु प्रवेश द्वार, पार्किंग, लाइटिंग, जनसुविधा आदि एवं यमुनोत्री में एप्रोच रोड़ का निर्माण, घाट निर्माण, लाइटिंग, जनसुविधा एवं जानकीचट्टी ट्रैक रूट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

134. **13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीमबेस्ड डेस्टीनेशन योजना** के अन्तर्गत राज्य में दीर्घकालीन पर्यटन विकास के दृष्टिगत सभी 13 जनपदों में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीमबेस्ड डेस्टीनेशन विकसित किया जाना प्रस्तावित है। जनपद अल्मोड़ा में सूर्य मन्दिर कटारमल, नैनीताल में मुक्तेश्वर, पौड़ी में सतपुली एवं खैरासैंण झील, देहरादून में लाखामण्डल, हरिद्वार में बावन शक्ति पीठ, उत्तरकाशी में मोरी–हरकी दून एवं जखोल सर्किट, टिहरी में टिहरी झील, रूद्रप्रयाग में चिरबटिया, ऊधमसिंह नगर में द्रोण सागर के साथ ही हरिपुरा बौर जलाशय, चम्पावत में पाटी–देवीधुरा, बागेश्वर में गरूड़ वैली, पिथौरागढ़ में मोस्टमानो, चमोली में गैरसैण–भैराड़ीसैंण को चयनित कर इनमें से कई स्थलों पर आधार भूत अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही है।

135. कुमाँयू मण्डल के अन्तर्गत लगभग अड़तीस (38) प्रमुख मंदिरों तथा पर्यटन स्थलों के महत्वपूर्ण मंदिर को **मानसखण्ड मंदिर माला मिशन** के अन्तर्गत विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

136. माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा–निर्देशों पर बद्रीनाथ धाम को **''स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन''** के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चरणवद्ध रूप से कार्य किये जा रहे है। भारत सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से रू. दो सौ सत्ताइस करोड़ (रू. 227.00 करोड़) निगमित सामाजिक उत्तरादायित्व निधि (सी0एस0आर0 फण्ड) से वित्त पोषण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत घाट निर्माण, रैन शेल्टर, **पर्यटन सूचना केन्द्र** आदि अवस्थापना सुविधाओं के कार्य किये जा रहे है।

137. श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत प्रथम चरण में रू. दो सौ पच्चीस करोड़ (रू. 225.00 करोड़)

के कार्य पूर्ण कराये गये है तथा वर्तमान में रू. एक सौ अट्ठानबे करोड़ (रू. 198.00 करोड़) के कार्य गतिमान है।

अध्यक्ष जी,

138. हम अपनी आंचलिक संस्कृति को बचाए रखने व प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में–निर्माणाधीन प्रेक्षागृह बागेश्वर, चम्पावत, ऊधमसिंहनगर, जोशीमठ, श्रीनगर एवं नरेन्द्रनगर को आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान है।

ग्राम्य एवं पंचायत विकास

अध्यक्ष जी,

139. हमारे गाँव हमारी शक्ति और प्रेरणा के केंद्र रहे है। यह सही है की विगत वर्षो में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अवसर की खोज आदि कारणों ने पलायन को बढ़ावा दिया है। हमने भी संकल्प लिया है और ये **विकल्प रहित संकल्प** है कि हम गाँव में खुशहाली को वापस लौटाएंगे।

कवि **'शिवमंगल सिह सुमन'** जी की पक्तियाँ प्रेरणादायक हैः

''सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है।
जब तक सॉसों में स्पन्दन है, उसका हाथ नही रूकता है।।
इसके ही बल पर कर डालें सातों सागर पार।
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।।''

140. हम गाँव को पुनः ऊर्जा का केंद्र बना रहे है। नये सडकों के निर्माण से गाँव को शहर से जोड़ा गया है, हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्वयं सहायता समूह आदि को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास जारी है। कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन, डेयरी, जड़ी–बूटी आदि के उत्पादन व विपणन हेतु समुचित प्रावधान किये जा रहे है। बारहमासी सम्पर्क मार्ग व होम–स्टे पॉलिसी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे है। **'वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड'** के इस नए दौर में हम

ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिन गाँव ने पलायन का दंश झेला है वो रिवर्स पलायन से गुलजार होंगे।

141. अध्यक्ष जी, आजादी के **75वें वर्ष मे** मनाये जा रहे **अमृत महोत्सव** के इस अवसर पर पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार प्रथम चरण में **75 गांवों को** इन्टरनेट कनेक्टिविटी, सम्पर्क मार्ग, स्वच्छ पेयजल, सुचारू विद्युत आपूर्ति आदि सुनिश्चित करते हुए स्टेकेशन या होमस्टे टूरिज्म के माध्यम से आर्थिकी को बढ़ावा देते हुए पलायन रोकने व रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए **'मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना'** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. पच्चीस करोड़ (रू. 25.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

142. **सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम में** राज्य के पांच (05) जनपदों यथा चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर, तथा पिथौरागढ़ के नौ (09) विकास खण्डों में आम जनमानस के आर्थिक व सामाजिक उत्थान एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न अवस्थापना सृजन के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. चौंवालिस करोड अठहत्तर लाख (रू. 44.78 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

143. **मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. बीस करोड़ (रू. 20.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

144. ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पोषित योजनाओं को हम पूरी लगन से लागू कर रहे हैं। **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य हेतु दो सौ तैतालिस लाख बाइस हजार (243.22 लाख) मानव दिवस सृजित किये गये। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. दो सौ सत्तानबे करोड़ चौरासी लाख (रू. 297.84 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

145. **'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण'** योजनान्तर्गत वर्तमान में कुल सोलह हजार चार सौ बहत्तर (16,472) आवासीय इकाई निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक दो हजार एक सौ छियालीस (2,146) आवास निर्मित किये गये, शेष चौदह हजार तीन सौ छब्बीस (14,326) निर्माणाधीन आवासों को माह नवम्बर 2022 तक पूर्ण कराने हेतु हम प्रयत्नशील है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. तीन सौ ग्यारह करोड़ छिहत्तर लाख (रू. 311.76 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

146. **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2022–23 तक की कार्य योजना के लिए कुल पच्चीस हजार (25,000) युवक–युवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. एक सौ पांच करोड़ एकतालिस लाख (रू. 105.41 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

147. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने तथा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में इन्टरप्राइज स्थापना में तकनीकी एवं ज्ञान आधारित सहयोग हेतु **'हब एंड स्पोक मॉड्यूल'** पर दो (02) रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स जनपद पौडी तथा जनपद अल्मोडा में स्थापित किये गये है। माह मार्च 2022 तक कुल दो सौ तैंतालिस (243) आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष सत्तासी (87) अभ्यर्थियों का चयन इन्क्यूबेशन हेतु किया गया। पचहत्तर (75) अभ्यर्थियों को बिजनेस प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। बाइस (22) 'मेंटर्स' तथा तीस (30) 'बिजनेस पार्टनर्स' चिन्हित किये गये है।

अध्यक्ष जी,

148. वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** योजना के अन्तर्गत **रू. एक सौ बारह करोड़ अड़तीस लाख (रू. 112.38 करोड़)**, **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन** योजना के अन्तर्गत **रू. चौंतीस करोड़ (रू. 34.00 करोड़)**, **''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान''** योजना के अन्तर्गत **रू. तीस करोड़ (रू. 30.00 करोड़)** तथा **मुख्यमंत्री**

महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत **रू. सात करोड़ (रू. 7.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।**

शहरी विकासः

अध्यक्ष जी,

149. शहरों पर दबाव निरन्तर बढते जा रहा है। सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है कि परियोजना बनाते समय भविष्य का भी ध्यान रखा जाए। हमारी सरकार ने आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर **देहरादून व नैनीताल** शहर के लिए **उत्तराखण्ड इंटीग्रेटेड एंड रेसिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हल्द्वानी** शहर के लिए **इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हल्द्वानी** तथा मध्यम श्रेणी के सोलह (16) नगर निकाय– **डोईवाला, विकासनगर, रूद्रपुर, काशीपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर, जोशीमठ, गोपश्वर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, जसपुर, सितारगंज, टनकपुर, चम्पावत, किच्छा** एवं **खटीमा** नगरों के अवस्थापना विकास के लिए **अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सेकेंडरी टाउन** परियोजनाए तैयार की है।

150. इन परियोजनाओं को भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृती प्राप्त हो गयी है। हमारा प्रयत्न है कि परियोजनाओं का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जा सकें। इन परियोजनाओं से अच्छे स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता में सुधार व आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा विकसित करने, असमानता कम करने एवं गरीबों को निःशुल्क सुविधायें प्रदान करने जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

151. जनता के सुझाव एवं बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में पार्किंग सुविधाओं के अभाव के कारण नगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या पर चिन्ता व्यक्त की गई थी। मुझे इस सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस हेतु आय व्ययक 2022–23 में यथोचित प्रावधान किये है। पार्किंग की जगह चिन्हीकरण से लेकर संचालन तक के प्रत्येक चरण को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिय हम प्रयासरत रहेंगे।।

152. **प्रधानमंत्री आवास योजना** के अन्तर्गत प्रदेश की नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास आश्रय नहीं है, को आवास उपलब्ध कराया जाना है। योजनान्तर्गत

शहरों में सत्रह हजार दो सौ सत्रह (17,217) **'बेनेफिशरी लैड कंस्ट्रक्शन'** तथा तेरह हजार एक सौ अस्सी (13,180) **'अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप'** आवासों का निर्माण कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. एक सौ छत्तीस करोड़ अट्ठाइस लाख (रू. 136.28 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

153. **अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन** के अन्तर्गत शहरी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं यथा–जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, पार्क निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उपलब्ध करायी जानी हैं। योजना अन्तर्गत प्रदेश की छः (06) नगर निगम–देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी–काठगोदाम तथा पर्यटन नगरी नैनीताल को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत 75 % कार्य पूर्ण हो गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. सौ करोड़ सत्तर लाख (रू. 100.70 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

154. **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन** के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत निवासरत शहरी गरीब बेरोजगारों को कौशल विकास प्रशिक्षण, स्व–रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, बेसहारो हेतु रैन बसेरों का निर्माण तथा शहर के रेड़ी–फेरी व्यवसायों के लिए **'टाउन वेंडिंग स्कीम्स'** बनाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

155. **स्मार्ट सिटी योजना** के अन्तर्गत देहरादून शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, डाटा सेन्टर, ई–गर्वनेन्स, इंटीग्रटेड सर्विस तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, परेड ग्राउन्ड रेजुवेशन, वाटर ए0टी0एम0, स्मार्ट टॉयलेट, ड्रेनेज, पेयजल संवर्धन, स्मार्ट रोड, सीवरेज आदि कार्य किये जा रहे हैं। **वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि रू. दो सौ पांच करोड़ (रू. 205.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।**

<u>स्थानीय निकायः</u>

अध्यक्ष जी,

156. स्थानीय निकायों हेतु 01 अप्रैल, 2022 से पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि दी जायेगी।

157. नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में दी धनराशि **रू. दो सौ पैंसठ करोड़ बत्तीस लाख (रू. 265.32 करोड़)** के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल **रू. तीन सौ एकतिस करोड़ अठहत्तर लाख (रू. 331.78 करोड़)** की धनराशि दी जायेगी, जिसमें गत वर्ष की तुलना में **रू. छाछठ करोड़ छियालिस लाख (रू. 66.46 करोड़)** की वृद्धि हुई है।

158. नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल रू. दो सौ बासठ करोड़ सोलह लाख (रू. 262.16 करोड़) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल **रू. तीन सौ नब्बे करोड़ चालीस लाख (रू. 390.40 करोड़)** की धनराशि दी जायेगी, जिसमें गत वर्ष की तुलना में **रू. एक सौ अट्ठाइस करोड़ चौबीस लाख (रू 128.24 करोड़)** की वृद्धि हुई है।

159. नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में धनराशि **रू. तिरसठ करोड़ छियालिस लाख (रू. 63.46 करोड़)** के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल **रू. एक सौ तेरह करोड़ चौबीस लाख (रू. 113.24 करोड़)** की धनराशि दी जायेगी, जिसमें **रू. उन्पचास करोड़ सतहत्तर लाख (रू 49.77 करोड़)** की वृद्धि हुई है।

160. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन में कुल उन्तालिस (39) नगर पंचायतें थी, जिसके उपरान्त ग्यारह (11) नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। सभी नव सृजित नगर पंचायतों को पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि दी जायेगी।

161. वित्तीय वर्ष 2021–22 में गैर निर्वाचित निकाय बद्रीनाथ को रू0 1 करोड़, केदारनाथ को **रू. पचास लाख (रू. 50.00 लाख)** एवं गंगोत्री को **रू. पचास लाख (रू. 50.00 लाख)** का अनुदान दिया गया है। उक्त धनराशि में वृद्धि करते हुये वित्तीय वर्ष 2022–23 में

बद्रीनाथ को **रू. दो करोड़ (रू. 2 करोड़)**, केदारनाथ को **रू. दो करोड़ (रू. 2 करोड़)** एवं गंगोत्री को **रू. दो करोड़ (रू. 2 करोड़)** का अनुदान दिया जायेगा।

162. त्रिस्तरीय पंचायतों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल रू. एक सौ सत्तर करोड़ साठ लाख (रू. 170.60 करोड़) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में **रू. दो सौ छः करोड़ बयासी लाख (रू. 206.82 करोड़)** की धनराशि दी जायेगी, जिसमें **रू. छत्तीस करोड़ बाइस लाख (रू 36.22 करोड़)** की वृद्धि हुई है।

163. क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में धनराशि **रू. एक्यासी करोड़ साठ लाख (रू. 81.60 करोड़)** के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में **रू. छियानबे करोड़ बावन लाख (रू. 96.52 करोड़)** की धनराशि दी जायेगी, जिसमें **रू. चौदह करोड़ बानबे लाख (रू. 14.92 करोड़)** की वृद्धि हुई है।

164. ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में धनराशि **रू. एक सौ आठ करोड़ अस्सी लाख (रू. 108.80 करोड़)** के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल **रू. दो सौ अड़तालिस करोड़ अट्ठारह लाख (रू0 248.18 करोड़)** की धनराशि दी जायेगी, जिसमें **रू. एक सौ उन्तालिस करोड अड़तीस लाख (रू. 139.38 करोड़)** की वृद्धि हुई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष में **रू. दो लाख (रू0 2 लाख)** से कम की धनराशि नहीं दी जायेगी।

165. पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल को प्रशिक्षण और अनुसंधान, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध परियोजना हेतु राज्यांश, एल.ई.डी. लाइटों की व्यवस्था, भूमिगत कचरा बिन स्थापित करने एवं परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल रू. एक सौ चौंतीस करोड़ बानबे लाख (रू. **134.92** करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है। आयोग की संस्तुतियों के इतर ऐसी शहरी निकाय, जिनके पास अपने कार्यालय भवन नहीं हैं, उनके लिये कुल **रू. सौ करोड़ (रू. 100 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।

166. 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में शहरी स्थानीय निकायों हेतु कुल **रू. दो सौ नौ करोड़ (रू. 209 करोड़)** की धनराशि संस्तुत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों हेतु कुल रू. **217** करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। इस प्रकार 8 करोड़ की वृद्धि हुई है।

167. त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल संस्तुत **रू. चार सौ पच्चीस करोड़ (रू. 425 करोड़)** की धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल रू. चार सौ चालीस करोड़ (रू 440 करोड़) की धनराशि प्राप्त होगी। इस प्रकार **रू. पन्द्रह करोड़ (रू. 15 करोड़)** की वृद्धि हुई है।

जल संसाधन

अध्यक्ष जी,

168. **हम सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।** पानी की गुणवत्ता परीक्षण निगरानी हेतु ढांचा विकसित कर स्रोतों व निकासी बिन्दुओं पर जल गुणवत्ता परीक्षण किये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्रोतों पर लक्षित सोलह हजार (16,000) **कैमिकल कंटैमिनेशन टैस्ट** के सापेक्ष सत्रह हजार आठ सौ बाइस (17,822) एवं तेंतीस हजार (33,000) **बैक्टिरियोलोजिकल कंटैमिनेशन टैस्ट** के सापेक्ष तेंतीस हजार तीन सौ अड़तीस (33,338) टैस्ट कराये गये। पूर्व में मात्र एक (01) प्रयोगशाला ही **नेशनल ऐक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज (एन0ए0बी0एल0)** अभिप्रमाणित थी, आज छब्बीस (26) प्रयोगशालाएं **एन0ए0बी0एल0** अभिप्रमाणित है। जिससे इस श्रेणी में उत्तराखण्ड देश का प्रथम राज्य बन गया है।

169. ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, विश्व बैंक सहायतित कार्यक्रम, पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी पैरी अर्बन योजनाओं आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में **रू. बारह सौ अट्ठहत्तर करोड़ छाछठ लाख (रू. 1278.66 करोड़),** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

170. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग नदी पर लगभग रू. दो हजार एक्कीस करोड़

(रू. 2,021.00 करोड़) की लागत से बाह्य सहायतित सौंग पेयजल बांध योजना भारत सरकार से स्वीकृत हो गयी है।

171. सौंग बांध में संचित वर्षा जल से एक सौ पचास (150) मिलियन लीटर प्रति दिन पेयजल की आपूर्ति गुरूत्व प्रवाह से होगी, जिससे वर्ष 2053 तक देहरादून नगर व निकटवर्ती क्षेत्र की मांग की पूर्ति आसानी से की जा सकेगी। इसका एक परोक्ष लाभ यह होगा कि भूमिगत जल के स्तर में गिरावट रूकेगी तथा भू–जल सम्भरण भी सम्भव होगा। इसके अतिरिक्त नये ट्यूबवैलों के निर्माण, ट्यूबवैलों पर होने वाले विद्युत व्यय एवं संचालन एवं रख–रखाव में होने वाले व्यय पर बचत होगी एवं पेयजल राजस्व भी प्राप्त होगा और बाढ़ नियन्त्रण प्रभावी होगा। पर्यटन विकास के अतिरिक्त अवसर भी प्राप्त होगें।

172. हमारी सरकार महत्वाकांक्षी सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु कटिबद्ध है एवं सरकार का प्रयास है कि शीघ्र सौंग बांध पेयजल परियोजना धरातल पर उतारी जा सके।

अध्यक्ष जी,

173. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गोला नदी पर बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना पर लम्बे समय तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। वर्ष 2017 में हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावी कार्यवाही शुरू की गयी। वर्तमान में लगभग सभी आवश्यक स्वीकृतियॉ एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई है एवं उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य परियोजना निर्माण हेतु आवश्यक सहमति **समझौता ज्ञापन पत्र** भी सम्पादित हो चुका है।

अध्यक्ष जी,

174. **लोहाघाट शहर** को 3.375 मिलियन लीटर प्रति दिन स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने हेतु निर्माणाधीन कोलीढेक झील का कार्य माह अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा एवं पिथौरागढ़ शहर को पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने हेतु थरकोट झील का निर्माण कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

175. राज्य के अन्य पर्वतीय जनपदों में भी असिंचित कृषि भूमि की सिंचाई हेतु लिफ्ट स्कीम में स्प्रिंकलर प्रणाली विकसित करने के लिये सर्वेक्षण कराया जा रहा हैं। भविष्य में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने में इस प्रकार की योजनाएं उपयोगी सिद्ध होंगी।

<u>पर्यावरण एवं अपशिष्ट प्रबन्धनः</u>

अध्यक्ष जी,

176. अर्थव्यवस्था व पारिस्थितिकी को एक साथ चलना चाहिए। तभी सही मायने में विकास हो पाएगा। शहर हो या गांव, पर्यटन हो या उद्योग, सतत् व सर्वांगीण विकास के लिए स्वच्छ पारिस्थितिकी जरूरी है। हमारा यह मानना है सिर्फ अभियान के समय ही सफाई न हों, बल्कि स्वच्छता की मशाल ऐसे जले की फिर अभियान चलाने की जरूरत न पडें। हम केन्द्र सरकार के आभारी है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी कार्यक्रम तथा **''नमांमि गंगें''** जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की सौगात हमें दी है।

177. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता आच्छादन को बढ़ाने व खुले में शौच को समाप्त करने के लिए सतत् प्रयास जारी है। नमामि गंगे पहल के तहत पवित्र गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 221.50 मिलियन लीटर प्रतिदिन की उपचार क्षमता वाले छियालिस (46) एस0टी0पी0 स्थापित किए गये हैं और क्रियाशील हैं।

अध्यक्ष जी,

178. नगरीय जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवर निस्तारण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। जहां एक ओर वर्ष 2015 में नौ सौ सत्रह (917) मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन सृजित होता था, वहीं वर्तमान में लगभग एक हजार पांच सौ पचास (1,550) मैट्रिक टन अपशिष्ट प्रतिदिन सृजित होता है।

179. वर्ष 2017 के पूर्व मात्र तीन (03) स्थानीय निकायों देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की डी0पी0आर0 स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी। वर्ष 2017 के पश्चात्

कुल अट्ठासी (88) स्थानीय निकायों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी। वर्ष 2018 के पश्चात् मुख्यरूप से ऋषिकेश क्लस्टर, रूड़की, काशीपुर, कोटद्वार, गदरपुर, टनकपुर, पिथौरागढ़ के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना की स्वीकृति प्राप्त किए जाने की कार्यवाही पूर्ण कराई गई। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जहां एक ओर पांच वर्ष पूर्व राज्य में ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण 20 % से भी कम था, वह बढ़कर लगभग 65 **%** हो गया है।

180. पूर्व में उत्पादित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण न करने के फलस्वरूप एक्कीस (21) लाख मैट्रिक टन लीगैसी वेस्ट, डम्प साइट पर एकत्रित है। वर्ष 2021 के पश्चात् लीगैसी वेस्ट के प्रसंस्करण व निस्तारण हेतु रेमिडियेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है व वर्तमान तक कुल 1.5 लाख मैट्रिक टन लीगैसी वेस्ट का निस्तारण कर दिया गया है। नगर निगम, ऋषिकेश में प्लांट संचालित है।

181. प्लास्टिक वेस्ट के प्रसंस्करण व निस्तारण हेतु वर्ष 2018 के पूर्व मात्र बाइस (22) प्लास्टिक कॉम्पेक्टर क्रियाशील थे जोकि वर्तमान में बढ़कर कुल छप्पन (56) हो गए हैं। कॉम्पेक्टर से प्लास्टिक अपशिष्ट को बेल्स बना कर बेचा जा रहा है एवं अब तक निकायों द्वारा कुल रू. तीन करोड़ पैंतीस लाख (रू. 3.35 करोड़) की आय सृजित की गयी है।

182. 'आपका बजट आपका सुझाव' व बजटपूर्व संवाद में जनता ने कूड़ा प्रबंधन किये जाने कि अपेक्षा की थी। इसके संबंध में अवगत कराना है कि आगामी दो वर्षों में प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन' तथा पुराने डम्प साईट को प्रसंस्कीकृत व निस्तारित किया जाने कि योजना गतिमान है।

अध्यक्ष जी,

183. हमारी सरकार सत्त विकास के लिए प्रयत्नशील है और हम पर्यावरण संरक्षण के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रहें है। **पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय** द्वारा राज्य की पर्यावरणीय धरोहरों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सकल पर्यावरणीय उत्पाद की परिभाषा को अधिसूचित कराया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों की नकारात्मक बाह्यताओं को ध्यान में रखते हुये और उनके प्रभाव को कम करके, स्थायी और विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरणीय सम्पत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करके राज्य में सतत् विकास को बढ़ावा देना, और अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों के सामन्जस्य

द्वारा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। इससे विभिन्न विकास परियोजनाओं से होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को न्यूनतम किया जा सकेगा।

184. पर्यावरण निदेशालय द्वारा राज्य पर्यावरण रिपोर्ट को बनवाया जा रहा है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय कार्यवाही, योजना, नीति निर्धारण और संसाधन आवंटन करने के लिये आने वाले दशकों में एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना है। यह उत्तराखण्ड के क्षेत्रों के पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताओं और मुख्य मुद्दों का प्राथमिकता के स्तर पर सविस्तार विश्लेषण करेगी।

185. राज्य द्वारा स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाईमेट चेंज तैयार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सेक्टर–**जल संसाधन, कृषि एवं औद्यानिकी, वन, उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबन्धन, पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, शहरी विकास एवं आवास, पर्यटन एवं संस्कृति, विज्ञान सूचना प्रौद्योगिक एवं शिक्षा, सड़क एवं परिवहन** के विभिन्न विभागों का कार्बन उत्सर्जन तथा उन विभागों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है।

<u>सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और सशक्तिकरणः</u>

अध्यक्ष जी,

186. हमारी कार्यप्रणाली अन्त्योदय की परिकल्पना के अनुरूप है। व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र एक दूसरे के पूरक और स्वाभाविक सहयोगी है। कमजोर लोगों को सशक्त करने के उद्देश्य से हम समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं सैनिक कल्याण व नागरिक आपूर्ति आदि विभागों के तत्वावधान में अनेक कल्याण योजनाएं संचालित कर रहे है।

187. हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयत्न है कि जरूरतमन्दों तक हम स्वयं पहुॅचेंः–

"रख हौंसला, वो मंजर भी आयेगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आयेगा।"

अध्यक्ष जी,

188. **हम वादे नहीं मजबूत इरादे लेकर आये हैं।** सबका कल्याण करने के इरादे के साथ हमने न केवल पति व पत्नी दोनो को **वृद्धावस्था पेंशन योजना** से आच्छादित किया, अपितु **निराश्रित वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं** एवं **दिव्यांग पेंशनरों** की मासिक पेंशन भी एक हजार दो सौ **(रू. 1,200)** से बढाकर **एक हजार पांच सौ (रू. 1,500)** की है।

189. वित्तीय वर्ष 2022–23 में सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु कुल **रू. एक हजार पांच सौ करोड़ (रू. 1500 करोड़)** की धनराशि आय–व्ययक में प्रावधान किये जाने हेतु प्रस्तावित की गयी है।

अध्यक्ष जी,

190. हमारा मानना है कि कमजोर वर्गो के विकास के लिए शिक्षा व कौशल विकास समय की मांग है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुसूचित जाति, पिछडी जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के छात्रों को छात्रवृत्ति एंव शुल्क का भुगतान किये जाने में मार्च, 2022 तक कुल रू. चार सौ चौंवालिस लाख पैंतीस हजार (रू. 444.35 लाख) की धनराशि व्यय कर चौवन हजार तीन सौ पन्द्रह (54,315) छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है।

191. वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जाति, पिछडी जाति, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु रू. एक सौ बत्तीस करोड़ बाइस लाख (रू. 132.22 करोड़) की धनराशि का प्रावधान आय–व्ययक में किया गया है।

अध्यक्ष जी,

192. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' हमारी सरकार का मूल मंत्र है। अनुसूचित जातियों के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत कुल रू. एक हजार सात सौ दो करोड़ पचासी लाख (रू. 1702.85 **करोड़**) की राजस्व व रू. तीन सौ उन्नीस करोड़ एकयासी लाख (रू. 319.81 **करोड़**) की पूजीगत धनराशि प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु राजस्व मद में रू. चार सौ सैंतीस करोड़ चौंबीस लाख (रू. 437.24 **करोड़)** तथा पूॅजीगत मद में रू. एक सौ उन्तालिस करोड़ उनसठ लाख (रू. 139.59 **करोड़**) का प्रावधान पृथक से किया गया है।

अध्यक्ष जी,

193. **'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना'** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. तीन करोड़ (रू. 3 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

194. राज्य मे अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, उनके पारम्परिक कौशल का संरक्षण, पुनर्जीवीकरण व उन्नयन करने एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देते हुए स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री हुनर योजना'** संचालित की जा रही है।

अध्यक्ष जी,

195. भारतीय स्त्रियों के लिए लगभग एक शताब्दी पूर्व मजाज़ लखनवी ने कहा था कि–

"तेरे माथे पे ये आँचल बहुत ही खूब है लेकिन
तू इस आँचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था"

196. लेकिन हम वो राज्य हैं जो माँ के रूप में महिला के कोमल आँचल तले ही नहीं बल्कि उसकी मेहनत के परचम तले भी उपजे हैं। पहाड़ की महिला उस पर्वतीय जलधारा के समान है जो जीवन की पहाड़नुमा चुनौतियों को काटते हुए अपनी राह बनाती है और अपने आँचल में सभ्यताओं को संजोती है।

हम यह मानते हैं कि इस पर्वतीय राज्य के विकास की धुरी महिला है।

197. महिला एवं बाल विकास हमारी प्राथमिकता हैं। इसीलिए केन्द्र पोषित योजनाओं को हमने पूर्ण लगन से लागू किया है तथा विभिन्न राज्य पोषित योजनाओं के माध्यम से भी यथा सम्भव महिला एवं बाल विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत हैं।

अध्यक्ष जी,

198. समग्र रूप में आगामी आय–व्ययक में महिला एवं बाल विकास के चार प्रमुख आयाम हैं :

- **पहला आयाम है**– मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की सम्पूर्ण देखभाल हेतु सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0;
- **दूसरा आयाम है**– बाल्य देखभाल एवं सुरक्षा हेतु समर्पित मिशन वात्सल्य;
- **तीसरा आयाम है**– महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति;
- **चौथा आयाम है–** कन्या की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नंदा गौरा योजना।

199. **सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0** के अंतर्गत **आई0सी0डी0एस0**, पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना तथा नेशनल क्रेच योजना को संचालित किया जा रहा है। इस क्रम में एक सौ पांच (105) बाल विकास परियोजनाओं द्वारा बीस हजार सड़सठ (20,067) आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से छः लाख पंचानबे हजार बयासी (6,95,082) बच्चों एवं एक लाख बयासी हजार तीन सौ चौरासी (1,82,384) गर्भवती–धात्री महिलाओं को आई0सी0डी0एस0 की सेवाएं दी जा रही हैं। **आई0सी0डी0एस0** सेवाओं को पोषण अभियान की रणनीतियों से जोड़कर कुपोषण को निर्धारित टाइम फ्रेम में चरणबद्ध रूप से मिटाने के उद्देश्य से **अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना** संचालित की जा रही है। आंगनवाडी केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य निगरानी हेतु सुसज्जित एवं सक्षम बनाया जा रहा है।

200. योजनाओं के वर्गीकरण का पहला आयाम जहां मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य तथा पोषण पर केन्द्रित है, वहीं **दूसरे आयाम की** प्रतिबद्धता है देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकताओं वाले बच्चो हेतु समर्पित **मिशन वात्सल्य** जिसके अंतर्गत बाल संरक्षण सेवाओं का संचालन कर देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु सकारात्मक वातावरण बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य में कुल बारह (12) फॉस्टर केयर होम में चौरासी (84) बच्चे तथा चार (4) ओपन शेल्टर होम में दो सौ (200) बच्चे पंजीकृत हैं।

201. देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु **स्पोंसरशिप योजना** के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में चालीस (40) बच्चों को प्रत्येक माह रू. दो हजार (रू. 2000) रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

202. मिशन वात्सल्य की भावना के अनुरूप कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों हेतु **मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना** संचालित की जा रही है जिसमें प्रभावित परिवारों के चार हजार सत्तावन (4,057) बच्चों को रू तीन हजार (रू. 3000) प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जा रही है और पी0एम0 केयर्स योजना के अन्तर्गत चौवालिस (44) बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की सेवायें प्रदान की जा रही है।

अध्यक्ष जी,

203. स्वस्थ मातृत्व व सुरक्षित बचपन विकसित समाज का दर्पण है। सशक्तिकरण महिलाओं के विकास रथ का ईंधन है। इसी कारण महिला एवं बाल विकास के तीसरे आयाम की प्रतिबद्धता महिला सशक्तिकरण हेतु **मिशन शक्ति** है।

204. **मिशन शक्ति** के अंतर्गत महिलाओं के लिए संबल स्वरुप **वन स्टॉप सेंटर**, **महिला पुलिस वालंटियर**, **महिला हेल्प लाइन**, **स्वाधार** तथा **उज्ज्वला** तथा **विडो होम्स**, **बेटी बचाओ बेटी पढाओ**, **प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना** का संचालन किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

205. हम शिक्षा को सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम मानते हैं तथा प्रत्येक कन्या को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। राज्य सरकार द्वारा पोषित **'नंदा गौरा योजना'** के अंतर्गत पात्र परिवार की प्रथम दो कन्याओं को जन्म के अवसर पर रू. ग्यारह हजार (रू. 11,000) रुपये तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर रू एक्यावन हजार (रू. 51,000) रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। आय–व्ययक 2022–23 में **नंदा गौरा योजना** हेतु **रू. पांच सौ करोड़ (रू. 500 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

206. हमने समृद्ध एवं अग्रणी उत्तराखण्ड के लिए अपने दृष्टि पत्र में कहा था कि हम उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने कि दिशा में काम करते हुए सभी गरीब घरों में एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर देंगें। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में समस्त अन्त्योदय कार्ड धारको को वर्ष में तीन (03) गैस सिलेण्डर फ्री रिफिलिंग की सुविधा

उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. पचपन करोड़ पचास लाख (रू. 55.50 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

207. हमारी सरकार प्रदेश के सेवारत सैनिकों व पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हैं। **दृष्टि पत्र** में हमने संकल्प लिया था कि हम **देहरादून के गुनियाल गॉव में भव्य सैनिक धाम और संग्रहालय का निर्माण समयवद्ध** तरीके से पूरा करेंगें। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में **शौर्य स्थल** हेतु धनराशि **रू. बीस करोड़ (रू. 20 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

208. सरकार द्वारा सैनिक कल्याण हेतु अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैः–

- भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना व पुलिस बल में भर्ती हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण योजना।
- पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु **'कम्प्यूटर प्रशिक्षण'** योजना।
- गैर वीरता पदक धारक सैनिकों को एकमुश्त अनुदान ।
- राज्य के वीरता पदक धारक सैनिकों को एक मुश्त अनुदान एवं एन्युटी।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को मासिक अनुदान ।
- विभिन्न युद्धों एवं सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैन्य तथा अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं एवं आश्रितों को उत्तराखण्ड शहीद कोष से एक मुश्त अनुदान एंव आवासीय सहायता।
- सशस्त्र सेनाओं में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन समूह 'ग' एवं 'घ' की सेवाओं में रोजगार ।
- प्रत्येक ब्लाक में सैनिक प्रतिनिधियों को मानदेय ।
- सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण एवं अनुरक्षण।
- राज्य के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों को गृहकर में छूट।

अध्यक्ष जी,

209. अग्रणी राज्य और देश की एक पहचान क्रीड़ा एवं खेल से भी बनती है। इस हेतु हमारी सरकार ने सामुदायिक फिटनेस उपकरण **(ओपन जिम)** की सुविधा को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी स्थानीय निकायों तक संतृप्त करने की दिशा में गंभीर प्रयास किये है। इस हेतु नगर पालिकाओं में पार्क और ओपन जिम की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. दस करोड़ (रू. 10 करोड़)**, एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत धनराशि **रू. छः करोड़ (रू. 6 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

210. मई, 2022 में **ब्राजील** में आयोजित **14वां समर डेफ ऑलम्पिक** में हमारे प्रदेश के उदीयमान खिलाडी **श्री अभिनव देसवाल** एवं **शौर्य सैनी** द्वारा दस मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में क्रमशः स्वर्ण व रजत पदक जीतकर राज्य व देश का नाम गौरवान्वित किया है। मई, 2022 में आयोजित थॉमस कप में हमारे प्रदेश के **श्री लक्ष्य सेन** ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस टीम द्वारा पहली बार प्रतिष्ठित थॉमस कप बैडमिन्टन प्रतियोगिता जीतकर भारतीय खेलों के इतिहास में नया अध्याय लिखा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों की शानदार उपस्थिति निःसदेह भविष्य में और खिलाडियों को भी प्रेरित करेंगी।

अध्यक्ष जी,

211. प्रदेश की जनता को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बारह लाख सत्ताइस हजार सात सौ (12,27,700) प्राथमिक राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच (05) किलोग्राम खाद्यान्न रू. दो (रू. 2) प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं रू. तीन (रू. 3) प्रति किलोग्राम चावल की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय के एक लाख चौरासी हजार (1,84,000) कार्ड धारकों को प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड पैंतीस (35) किलोग्राम खाद्यान्न रू. दो (रू0. 2) प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं रू. तीन (रू0. 3) प्रति किलोग्राम चावल की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना के नौ लाख तिरानबे हजार (9,93,000) कार्ड धारकों को 7.5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड रू. 8.60 प्रति किलो ग्राम गेहूँ तथा रू. 11.00 प्रति किलोग्राम चावल की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

212. कोविड–19 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राज्य में अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को पांच (5) किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क (नियमित मासिक आवंटन के अतिरिक्त) वितरित किया गया है तथा इस योजना को पुनः मई 2021 से प्रारम्भ किया गया है।

213. राज्य में 'वन नेशन वन राशन कार्ड योजना' जुलाई 2020 से प्रारम्भ हो गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मार्च 2022 तक तीन हजार आठ सौ नौ (3809) कार्ड धारक लाभान्वित हुए है।

214. राज्य में माह सितम्बर, 2019 से ''मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना'' का शुभारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त राशन कार्ड धारकों को प्रतिकार्ड दो (2) किलोग्राम दाल सस्ती दरों पर वितरित करायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को सितम्बर 2019 से मार्च 2022 तक 35,804.96 मैट्रिक टन दाल वितरित की गयी है।

अध्यक्ष जी,

215. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के दुर्विनियोग व काला बाजारी को रोकने हेतु 'एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण' के अन्तर्गत राज्य में राशन कार्डो का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर आधार कार्ड से जोड दिया गया है। राज्य की समस्त नौ हजार दो सौ पच्चीस (9,225) सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों को '**ऑटोमेट**' कर दिया गया है।

216. रबी खरीद सत्र 2021–22 में कृषकों से खरीदे गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान कृषको को किया जा चुका है। खरीफ–खरीद सत्र 2021–22 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 11,55,464.30 मैट्रिक टन धान का क्रय किया गया है, जिसका ए**म0**एस0पी0 दरों पर शत प्रतिशत भुगतान कृषकों को कर दिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

अध्यक्ष जी,

217. आम जनमानस तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुलभ कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उत्तराखण्ड की भौगोलिक विषमताओं एवं छितरी हुई आबादी के कारण

यद्यपि स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। तथापि हमारी सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु अनवरत रूप से प्रयासरत है।

218. उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत की तर्ज पर अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना लागू की गयी हैं। इस योजना के अच्छे परिणाम आ रहे हैं, अभी तक बयालीस लाख तिरासी हजार (42.83 लाख) व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं। कैशलैस उपचार के लिए राज्य के अन्तर्गत एक सौ दो (102) राजकीय एवं एक सौ बाईस (122) निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए हैं। उपचार के लिए नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए अस्पतालों में चार लाख चौवन (4.54 लाख) मरीज भर्ती हुए है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. तीन सौ दस करोड़ (रू. 310 करोड़)** करोड़ का प्रावधान किया गया है।

219. हमारी सरकार के प्रयासों से शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में भी निरन्तर सुधार हो रहा हैं। अब शिशु मृत्यु दर अड़तीस (38) प्रति हजार से घटकर सत्ताइस (27) प्रति हजार जीवित जन्म हो गयी हैं। यह गिरावट देश के प्रमुख बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा हैं। इसी प्रकार पांच (05) वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी इकतालीस (41) से घटकर तीस (30) हो गयी हैं।

220. राज्य में कैंसर पीड़ित मरीजों की सुविधा के लिए सात (07) पर्वतीय जनपदों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली में **डे केयर कैंसर यूनिट** का संचालन आरम्भ हो रहा हैं। अब कैंसर पीड़ित मरीजों को किमोथेरेपी की सुविधा घर के समीप ही मिल पायेगी।

221. सरकार द्वारा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक गुर्दा रोग से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क अथवा न्यूनतम दरों पर डायलिसिस की सुविधा देने का कार्य किया जा रहा हैं।

222. राज्य सरकार द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क पैथोलॉजी जाँच योजना आरम्भ की गयी हैं। योजना के तहत ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 एवं इमरजेंन्सी के दौरान दो

सौ सात (207) प्रकार की पैथोलॉजिकल जॉचें निःशुल्क की जा रही है। इस योजना के संचालन हेतु अनुबंधित निजी सेवा प्रदाता के स्तर से लगभग पांच सौ (500) मानव संसाधन का रोजगार सृजन भी हो रहा है।

अध्यक्ष जी,

223. अपने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाए निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए सम्यक चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इसी क्रम में यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि शैक्षणिक सत्र 2022–23 में सौ (100) एम0बी0बी0एस0 छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 व बी0डी0एस0 इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों को स्टाइपेन्ड में वृद्धि करते हुए रू. सत्रह हजार (रू0. 17,000) की स्वीकृति प्रदान की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, अल्मोडा, देहरादून व हल्द्वानी में ऑक्सीजन जेनरेशन के प्लान्ट की स्थापना की गई है।

224. मुझे सम्मानित सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि, पर्याप्त संख्या में संकाय सदस्यों को आकर्षित करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत संकाय सदस्यों को 50 % पर्वतीय मेडिकल कालेज शिक्षण भत्ता अनुमन्य किये जाने हेतु हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। इस आय–व्ययक में इस मद में श्रीनगर मेडिकल कालेज हेतु **रू. पांच करोड़ (रू. 5 करोड़)** एवं अल्मोडा मेडिकल कालेज हेतु **रू. दो करोड़ (रू. 2 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

225. स्पेन के प्रसिद्ध दार्शनिक मैनोनिड्स का एक मशहूर कथन हैः– **" किसी व्यक्ति को एक मछली देकर तुम उसके एक दिन के लिए भोजन का प्रबन्ध कर देते हो, जबकि किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाकर तुम उसके जीवनभर के लिए भोजन का प्रबन्ध कर देते हो।"** हमारी सरकार का मानना है कि निर्बल को समुचित शिक्षा देकर **सशक्त किया जाये, किताब दी जाये और कौशल विकास किया जाये।**

226. विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया के ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिये राज्य स्तर पर कमान्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर बनाये जाने की

प्रक्रिया गतिमान है। विद्यालय स्तर तक सभी छात्र/छात्राओं, कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों आदि के प्रतिदिन के कार्यक्रमों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु **एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग** (ई0आर0पी0) क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

227. समस्त छात्र–छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रदेश के समस्त विद्यालयों में क्रियाशील शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से छात्र/छात्राओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय बनाने की कार्यवाही गतिमान है।

228. राज्य के समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं में सी.बी.एस.ई. (CBSE) पाठयक्रम की एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) द्वारा विकसित पाठय–पुस्तकें लागू की गयी है।

अध्यक्ष जी,

229. शैक्षिक सत्र 2021–22 तक कक्षा–01 से 08 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं तथा कक्षा–09 से 12 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं एवं सामान्य वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाने की व्यवस्था थी। हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2022–23 में कक्षा 09 से लेकर 12 तक सामान्य व पिछडी जाति के विद्यार्थियों के लिए भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. छत्तीस करोड़ छियासी लाख (रू. 36.86 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

230. उत्तराखण्ड के छात्र और छात्राओं को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत **'अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना'** संचालित की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य के एक सौ नवासी (189) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर उन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में इस योजना हेतु धनराशि **रू. बारह करोड़ अट्ठाइस लाख (रू. 12.28 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

231. पिछले पांच साल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बेमिसाल रहे है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जनपद में 01 वर्चुअल लैब स्थापित की जाये, उच्च शिक्षा निदेशालय में ई–ऑफिस लागू किया जाये, अशासकीय महाविद्यालय हेतु भी एम0आई0एस0 पोर्टल का विस्तार किया जाये, अशासकीय महाविद्यालयों हेतु उच्च शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जाये तथा प्रत्येक महाविद्यालय में ऑफलाईन मोड के साथ–साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रदान किया जाये।

232. **उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्ता मूलक एंव रोजगार** उन्मुखी बनाना हमारी सरकार का उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वोकेशनल और निजी क्षेत्र की इस क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगाा। हमारा यह लक्ष्य है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों को नैक (NAAC) मूल्यांकन में श्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त हो सके ।

अध्यक्ष जी,

233. सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किये जाने की आवश्यकता समय की मॉग है। युवाओं के पलायन का एक कारण शैक्षणिक आवश्यताओं की पूर्ति करना भी रहा है। इस आलोक में वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में नई मॉग शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु **रू. पांच करोड़ (रू. 5 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

234. हमारी दुरूह भौगौलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल टैक्नोलॉजी को बढ़ावा देना समय की मांग है। साइबर सिक्योरिटी मे देश को उच्च कोटि की विशेषज्ञता की आवश्यकता है जिससे नौजवानों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन भी होगा और सुरक्षा भी अक्षुण्ण रहेगी। इस क्रम में इस आय–व्ययक के माध्यम से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालनार्थ नई मॉग के माध्यम से **रू. पांच करोड़ (रू. 5 करोड़)** की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

235. उद्योगों की मांग एवं राज्य को ज्ञान आधारित हब के रूप में विकसित करने हेतु नई प्रौद्योगिकीयों यथा **मेकाट्रोनिक्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सिविल एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग** के नये पाठ्यक्रम संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2022–23 में कुल प्राप्तियाँ **रू. तिरसठ हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ पचपन लाख (रू. 63774.55 करोड़)** अनुमानित हैं जिसमें **रू. एक्यावन हजार चार सौ चौहत्तर करोड़ सत्ताइस लाख (रू. 51474.27 करोड़)** राजस्व प्राप्तियाँ तथा **रू. बारह हजार तीन सौ करोड़ अट्ठाइस लाख (रू. 12300.28 करोड़)** पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व **रू. चौबीस हजार पांच सौ करोड़ बहत्तर लाख (रू. 24500.72 करोड़)** है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश **रू. नौ हजार एक सौ तीस करोड़ सोलह लाख (रू. 9130.16 करोड़)** सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति **रू. बीस हजार आठ सौ एक्यानबे करोड़ पैंतीस लाख (रू. 20891.35 करोड़)** में कर राजस्व **रू. पन्द्रह हजार तीन सौ सत्तर करोड़ छप्पन लाख (रू. 15370.56 करोड़)** तथा करेत्तर राजस्व **रू. पांच हजार** पांच **सौ बीस करोड़ उन्यासी लाख (रू. 5520.79 करोड़)** अनुमानित है।

<u>व्ययः</u>

वर्ष 2022–23 में ऋणों के प्रतिदान पर **रू. पांच हजार पांच सौ अड़सठ करोड़ चौबीस लाख (रू. 5568.24 करोड़),** ब्याज की अदायगी के रूप में **रू. छः हजार सत्रह करोड़ पचासी लाख (रू. 6017.85 करोड़)**, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग **रू. पन्द्रह हजार नौ सौ अड़सठ करोड़ सैंतालीस लाख (रू. 15968.47 करोड़)**, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग **रू.**

एक हजार तीन सौ एक्यासी करोड़ चौहत्तर लाख (रू. 1381.74 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में **रू. छः हजार सात सौ तीन करोड़ दस लाख (रू. 6703.10 करोड़)** व्यय अनुमानित है। वर्ष 2022–23 में कुल व्यय **रू. पैंसठ हजार पांच सौ एकहत्तर करोड़ उन्चास लाख (रू. 65571.49 करोड़)** अनुमानित है। कुल व्यय में **रू. उन्चास हजार तेरह करोड़ एकतीस लाख (रू. 49013.31 करोड़)** राजस्व लेखे का व्यय है तथा **रू. सोलह हजार पांच सौ अट्ठावन करोड़ अट्ठारह लाख (रू. 16558.18 करोड़)** पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि में घाटा/सरप्लसः

वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि **रू. दो हजार चार सौ साठ करोड़ छियानबे लाख (रू. 2460.96 करोड़)** का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं **रू. आठ हजार पांच सौ तीन करोड़ सत्तर लाख (रू. 8503.70 करोड़)** का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का **3.07 %** है।

लोक–लेखा से समायोजनः

वर्ष 2022–23 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए **रू. एक हजार सात सौ करोड़ (रू. 1700 करोड़)** लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

शेषः

वर्ष 2022–23 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष **रू. दो सौ अट्ठानबे करोड़ बासठ लाख (रू. 298.62 करोड़)** तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष **रू. तीन सौ एक करोड़ अड़सठ लाख (रू. 301.68 करोड़)** धनात्मक रहना अनुमानित है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं, मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं

महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन.आई.सी. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

अध्यक्ष जी,

अन्त में, मैं प्रदेश की सम्मानित जनता की आशा व आकांशाओं का सम्मान करते हुए भारत रत्न श्रद्धेव श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की इन पंक्तियों को समर्पित करता हूँ:

सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ,
असफल, सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न मांगते,
पावस बनकर ढलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

इन्ही शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वित्तीय वर्ष 2022–23 का आय–व्ययक प्रस्तुत करता हूँ।

ज्येष्ठ 24, शक सम्वत् 1944

तद्नुसार

14 जून, 2022